

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2017 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

03.03.2017/1100/RKS/DC/1

स्थगित प्रश्न संख्या: 3530

श्री विजय अग्निहोत्री: उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसमें उन-उन पटवार सर्कलों का नाम लिखा है जिनमें प्रोसैस पूरा हो गया है। लेकिन जिनका अधूरा पड़ा है और बन्दोबस्त हो गया है परन्तु शजरा-लट्टा नहीं बना है, जैसे दंगड़ी, रंगस, जोल-सपड़, देहा और बडोग हैं, इनमें शजरा-लट्टा अभी तैयार नहीं हुए हैं। कई वर्षों से यह मामला पैडिंग चला हुआ है जिससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को डिमार्केशन भी लेनी हो तो उसे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो शेष बचे हुए पटवार सर्कल हैं इनका शजरा-लट्टा और मुसावी कब तक तैयार कर दी जाएगी? क्या आप अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इसको जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने स्पेसिफिक कुछ पटवार सर्कलों का जिक्र किया है। जिला हमीरपुर की तहसील नदौन में कुल 20 पटवार सर्कल हैं। सभी पटवार सर्कलों में तहसील नदौन के पटवार वृत्त नदौन, करौर, सेरा, मिट, सपड़ोह, फतेहपुर, भूम्ल, वल्डूहक, बड़ा, रक्कड़, चौडू, कोहला, गारनी, झलाण, जसोह, ग्वालपत्थर, धनेटा, डूहक, कमलाहू व जलाड़ी में बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पटवार सर्कल जलाड़ी के केवल एक मौहाल नधुं के अलावा शेष सभी पटवार सर्कलों का राजस्व रिकॉर्ड इकाई को सौंपा जा चुका है। मौहाल नधुं में भी बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण कर शजरा-लट्टा तैयार हो चुके हैं लेकिन मिसल-अकीयत को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है इस कारण रिकॉर्ड राजस्व इकाई में सौंपा नहीं गया है। इसके अतिकरिक्त जो हमारे लट्टा, मुसावी सब कुछ तैयार हो चुका है और हमने इसे राजस्व विभाग को भेज दिया है। अगर आपको कहीं समस्या होगी तो आप मुझे इसके बारे में बताएं, आपकी समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

03.03.2017/1105/SLS-DC-1

उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न (प्रश्न संख्या : 3591) श्री महेन्द्र सिंह जी का था जिसे दिनांक 09.03.2017 के लिए स्थानांतरित किया गया है। अब आज के प्रश्न शुरू होते हैं।

प्रश्न संख्या : 3694

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, इन्होंने अपने जवाब के 'ख' भाग में कहा है कि मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की टीम इस कॉलेज का निरीक्षण कर चुकी है। हमने इसका ब्योरा मांगा था कि उस निरीक्षण की क्या रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इस साल अप्रैल में इस मैडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. की क्लासिज शुरू करेंगे। क्या उसके लिए प्रिंसिपल की तैनाती, फैकल्टी की तैनाती, डॉक्टरों की तैनाती और पैरा-मैडिकल स्टॉफ की तैनाती कर दी है? इस कॉलेज को चलाने के लिए जो इक्युपमेंट्स और मशीनरी आदि की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या पग उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। यह ठीक है कि ESI Corporation ने हमारे अनुरोध पर, जब श्री धूमल जी की सरकार थी, मैडिकल कॉलेज - मण्डी सरकारी क्षेत्र में नोटिफाई किया। इनकी सरकार आने पर यह डीनोटिफाई हो गया। फिर 4-5 महीनों तक बड़ा ऐजिटेशन चला। यू.पी.ए. सरकार में श्री आस्कर फर्नांडीस लेबर मंत्री थे। हमने उनसे अनुरोध किया और प्रदेश सरकार की ओर से भी रिक्वेस्ट गई कि मण्डी में ESI Medical College खोला जाए। आस्कर फर्नांडीस जी ने उसमें फ़ैसला लिया, उसकी मंजूरी दी और फिर वह उद्घाटन करने के लिए भी आए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां थे, मैं भी था और विद्या स्टोक्स जी भी उस वक्त वहां मौजूद थी। हमने अपनी ऐनिमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट की ज़मीन उनको ट्रांसफर की और वहां पर एक बहुत अच्छा कंप्लैक्स बनकर तैयार हो गया। उसका

उद्घाटन भी श्री आस्कर फर्नाडीस जी ने ही किया। जिस दिन 10.30 बजे उद्घाटन हुआ उसी दिन 11.30 या 12.00 बजे आचार संहिता लग गई। उसके बाद जब एन.डी.ए. की

03.03.2017/1105/SLS-DC-2

सरकार बनी, उसमें श्री नरेन्द्र तोमर जी लेबर मिनिस्टर थे। मैं उनसे मिलने गया कि इस कॉलेज को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि in principle, we have decided not to start any ESI Corporation Medical College in the country. उन्होंने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है कि क्या आप इसको टेक ओवर करना चाहते हैं? उस वक्त केंद्र में डॉ. हर्षवर्द्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मण्डी में हमें AIIMS दो और इस कॉलेज को भी टेक ओवर करो। इसके लिए हम 600-700 बीघे ज़मीन भी देने को तैयार थे। इसके लिए काफी हद तक उनका विचार बन गया था। उन्होंने कहा कि मैं खुद देखने आऊंगा। लेकिन बीच में हमारे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनें। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के ही अपने एक राज्य सभा के सदस्य मंत्री बन गए और उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने AIIMS खोलना है और यह इस साल के बजट में आया भी है; अभी खुला नहीं है। मैंने बार-बार उनसे अनुरोध किया कि जल्दी आइए, आप इसका शिलान्यास करिए और 650 बीघे ज़मीन हमने इसके लिए ट्रांसफर कर दी है। इसलिए फिर उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि अगर आप टेक-ओवर करना चाहते हैं, then we agreed. I took up the matter to the Cabinet and the Cabinet in its wisdom decided that we should take over this Medical College. हमने इस मैडिकल कॉलेज को टेक-ओवर कर लिया है और हम फेज्ड मैनर में काम कर रहे हैं। जैसे-जैसे भवन तैयार हो रहे हैं, हमने उसके 8 भवन टेक-ओवर कर लिए हैं। इन्होंने पूछा कि क्या मैडिकल काँसिल ऑफ इंडिया की टीम वहां आई है और कितना स्टाँफ वहां पर लगाया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास है।

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2017/1110/RG/AG/1

प्रश्न सं.3496 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

यह ठीक है कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 9 और 10 दिसम्बर, 2016 को इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था जिसमें परिषद द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण दिनांक 10-02-2017 को हमने एम.सी.आई. को रिपोर्ट किया है। जो डेफिशियेन्सीज़ थीं we have tried to remove those deficiencies and we have succeeded in it to some extent.

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि कितना स्टाफ वहां लगाया गया है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रिंसीपल-कम-डीन वहां लग गए हैं, चिकित्सा अधीक्षक लगा दिए हैं, उप चिकित्सा अधीक्षक अभी लगना है, अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक वहां लगा दिए हैं, तो इस प्रकार से ये काफी पोस्ट्ज हैं। यदि मैं सारा पढ़ूंगा, तो काफी समय लगेगा। हमने इस कॉलेज की लगभग 335 पोस्ट्ज भर दी हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगस्त महीने से इस मैडिकल कॉलेज में भी 100 एम.बी.बी.एस. फर्स्ट ईयर के बच्चे हम बैठाएं। मुझे विश्वास है कि जो डेफिशियेन्सी बताई थी, हम उसको रिमूव कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एम.सी.आई. हमारा अनुरोध स्वीकार करेगा। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर भारत सरकार में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी हैं जिनके अन्तर्गत यह विभाग आता है इसलिए **मैं उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा कि इस कॉलेज को चलाने की परमीशन दें।**

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो चम्बा और हमीरपुर मैडिकल कॉलेज हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी और इन मैडिकल कॉलेज को चलाएंगे provided we get the teaching faculty. चम्बा में तो जमीन उपलब्ध हो गई है और हमीरपुर में मैंने व्यक्तिगत तौर से माननीय प्रो. धूमल जी से भी अनुरोध किया था कि वहां जमीन उपलब्ध करवाई जाए। फिर वहां एक आयुर्वेदिक अस्पताल बड़ा है **हम उसको लेना चाहते हैं और इसके लिए हम आयुर्वेदा विभाग से एन.ओ.सी. लेंगे। इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे।**

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : मशीनरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?

03/03/2017/1110/RG/AG/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मशीनरी का प्रश्न है, तो मशीनरी के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध है और मशीनरी हम लेंगे। हमने जो भारत सरकार को पैसा देना है, तो जब से यह मैडिकल कॉलेज चलेगा तब से पांच किशतों में हम उस पैसे को 285 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार देगी। **तो हमारी कोशिश होगी कि अभी 100 सीटें इस मैडिकल कॉलेज में अगस्त महीने से शुरू कर दी जाएं।**

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस पर पहले कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस मंच को यहां इस्तेमाल किया है और सदन को अपनी वाकपटुता से गुमराह करने का काम किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मैं सदन को कभी गुमराह नहीं करता।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे, तो मैं चुप था और उम्मीद है कि अब ये भी चुप रहेंगे। इन्होंने कहा कि इन्होंने श्री ऑस्कर फर्नाडिस से ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज की मांग की थी और फिर इनकी नजर मुझे पर पड़ी, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने (मैंने) भी कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि यू.पी.ए. सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो राज्य सरकारें भूमि देंगी और जहां ई.एस.आई.सी. अस्पतालों की आवश्यकता होगी वहां एक ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज और अस्पताल दिया जाएगा।

उस समय डॉ. राजीव बिन्दल जी हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे, हमने प्रयासपूर्वक मण्डी में यह खुलवाने का काम जिम्मे लिया। अनेकों स्थानों का निरीक्षण किया गया और अन्ततः बल्ह नेर चौक में स्थान चिन्हित किया गया। जिस फाँउन्डेशन स्टोन का माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं यह सही है कि उस दिन माननीय श्री कौल सिंह जी और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी वहां उपस्थित थे और संयोग से हम एक ही सोफे पर बैठे थे। श्री ऑस्कर फर्नाडिस जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और पार्लियामेंट के समय से हम एक-दूसरे को जानते हैं, तो उनको ये (श्री कौल सिंह) कह रहे थे कि आपने अपने भाषण में यह जरूर कहना कि हमने भी आपको इसके लिए कहा था।

03/03/2017/1110/RG/AG/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आप झूठ न बोलो।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। जब माननीय मंत्री जी ने जब भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज मिला है, तो मुख्य मंत्री धूमल के कारण मिला है।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

03/03/2017/1115/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3694 क्रमागत----

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी-----

सबसे पहले एक रुपये के पट्टे पर हिमाचल ने और फिर हरियाणा ने, ये दो राज्य थे जिन्होंने भूमि उपलब्ध करवाई और कॉलेज खुले। ये कहते हैं कि 10.00 बजे हमने उद्घाटन किया और 11.30 बजे आचार-संहिता लग गई। उपाध्यक्ष जी, वह भी सब जानते हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव घोषित हो रहे थे इसलिए ऑनलाइन केवल आपने उसको ही उद्घाटित नहीं करवाया बल्कि आपने टांडा में भी कुछ उद्घाटन करवा दिए। सब वहीं से हुआ, वहां मंत्री जी गए ही नहीं। मैं उस सारे झंझट को छोड़ता हूं लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि इनके ही प्रश्न से यह सप्लीमेंट्री निकलता है कि अगर नाहन में मेडिकल कॉलेज चल सकता है तो यहां तो इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार था तो साथ में यहां पर क्लासिज शुरू क्यों नहीं की गई? दूसरे, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरे सुझाव पर हमीरपुर में एक जगह इन्सपैक्ट की। सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हमीरपुर में बहुत बड़ा भवन उपलब्ध है और उपाध्यक्ष जी, वहां पर ही एजुकेशन बोर्ड का एक बहुत बड़ा भवन तैयार है। मैंने माननीय मंत्री जी को यह कहा था कि यहां क्लासिज लग सकती है। जो भूमि आपने ऑफर की है, हमने आपको अल्टरनेट भी ऑफर की थी लेकिन आपने कहा कि प्रोसैस हो गया है और काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। हमने कहा कि हमीरपुर जिले में

मिल रहा है या अन्य कहीं भी मिल रहा है, ठीक है मेडिकल कॉलेज खोलो। तो ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज नेरचौक में क्लासिज शुरू क्यों नहीं की गई? इसके अलावा, हमीरपुर का भी नियुक्तियों का मामला अभी तक लटका पड़ा है और जब दो भवन आपके पास उपलब्ध हैं और तीसरा आप जोनल अस्पताल के पास आयुर्वेदिक अस्पताल को भी टेकओवर करना चाह रहे हैं क्या अगले सत्र से वहां क्लासिज शुरू की जाएंगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, जो इन्होंने कहा कि मैंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, इनका यह आरोप बिल्कुल निराधार है। क्या यह बात ठीक नहीं थी जब आप राजनीति कर रहे हैं कि वर्ष 2006-07 में मण्डी में सेंट्रल जोन में सरकारी तौर पर मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन

03/03/2017/1115/MS/AG/2

हुई? क्या यह बात भी ठीक नहीं है कि जब दिसम्बर, 2007 में चुनाव हो रहे थे तो माननीय उस वक्त के मुख्य मंत्री और वर्तमान माननीय विपक्ष के नेता ने सेरी मंच पर मीटिंग की और कहा कि इन्होंने तो सिर्फ प्रिंसिपल लगाया और जगह सलैक्ट की परन्तु जब मेरी सरकार आएगी तो एक महीने के अंदर हम इस कॉलेज को शुरू कर देंगे? इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जैसे ये कह रहे हैं कि श्रीमती विद्या स्टोक्स जी सी0एल0पी0 की लीडर थी और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था। मण्डी में एजिटेशन 4-5 महीने चला, इस बात का इनको पता है। उसके बाद हम दोनों दिल्ली जाकर ऑस्कर फर्नाडिस जी से मिले क्योंकि हमने अखबार में पढ़ा कि ई0एस0आई0सी0 के मेडिकल कॉलेज हिन्दुस्तान के अंदर खुल रहे हैं। हमने उनसे इसके लिए निवेदन किया। यह ठीक है जैसा मैंने कहा भी कि इन्होंने भी पत्र लिखा और सरकारी तौर पर पत्र लिखा तथा जमीन भी इन्होंने ऑफर की। वह जमीन पशु पालन विभाग की थी और लगभग डेढ़ सौ बीघा पशु पालन विभाग की जमीन ई0एस0आई0 के नाम की। इन्होंने जो मेन प्रश्न पूछा है कि यह मेडिकल कॉलेज आज तक क्यों नहीं चला तो इसमें मेरा यह कहना है कि आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि कितना पत्राचार हमारे और केन्द्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बीच में हुआ है। उनकी शर्तें बड़ी कॉम्प्लीकेटिड थीं। वे कहते हैं कि आप 10 साल 285 करोड़ रुपये पर 12 प्रतिशत इंट्रस्ट देंगे। That condition was not

acceptable to the State Government and we refused. एक नहीं बल्कि हमने कई मीटिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ दिल्ली में कीं। मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर केन्द्रीय श्रम मंत्री जी से बात की। मैंने कहा कि यह सरकार की बात है यह कोई बनिये की दुकान थोड़े ही है कि हम इंटरस्ट दें। इसलिए उनकी वजह से यह डिले हुआ है और अब फाइनल तौर पर कुछ बिल्डिंगज जो तैयार हो रही हैं वे उनको हैंडओवर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 7-8 बिल्डिंग्स अभी हमें हैंडओवर हुई हैं और पूरा कॉम्प्लैक्स अभी तक भी हैंडओवर नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहां पर स्टाफ लगाया है। जैसे मैंने कहा, हमारी हर संभव कोशिश होगी,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

03.03.2017/1120/जेके/एस/1

प्रश्न संख्या: 3694:-----जारी-----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री:-----जारी-----

कि इस अगस्त से 100 सीटें एम0बी0बी0एस0 की फर्स्ट ईयर बिठाई जाए। नाहन में भी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग की 21 एकड़ जमीन थी इसलिए वहां पर काम करना आसान था। वहां पर हमने बिल्डिंग के टेंडर के लिए कह दिया है। नाहन में एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटें इस साल बैठ गई है। 100 सीटें अभी अगस्त में बैठेगी। यह भी हमारी उपलब्धि है। चम्बा और हमीरपुर के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कोशिश होगी टीचिंग फैकल्टी अभी हमें उपलब्ध हुई और राजा साहब से मैंने डिस्कस किया था कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिसके बारे में मैंने कहा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास जगह भी खाली है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, वहां पर हमारी एक और बिल्डिंग और बन सकती है। अब आयुर्वेद विभाग से हमने एन0ओ0सी0 लेने के लिए एनक्रेज किया है। जो उनकी बुक वैल्यू उस बिल्डिंग की है, वह हेल्थ डिपार्टमेंट देने को तैयार है और वहां पर एक बहुत अच्छा कम्प्लैक्स भी बन सकता है। अगर वह जमीन ठीक

ट्रांसफर हो गई तो निश्चित तौर पर इन दो मेडिकल कॉलेज को भी हम स्टार्ट करने का निर्णय करेंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी पहले उत्तर दे रहे थे तो बड़े शांत थे और हमने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। आपने कहा कि आपने कॉलेज नोटिफाई किया था। 10 अक्टूबर, 2007 को इलैक्शन कमिशन ऑफ इण्डिया ने हिमाचल में इलैक्शन डिक्लेयर कर दिए। एक सप्ताह तक आप कोशिश करते रहे कि इलैक्शन मार्च में ही हो। जब आपकी बात वहां पर रिजेक्ट हो गई उसके बाद आपने मण्डी के मेडिकल कॉलेज का बैक डेट में नोटिफिकेशन करवाया। इलैक्शन कमिशन में शिकायत हुई। उस समय की हेल्थ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश इलैक्शन कमिशन ने दिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड

03.03.2017/1120/जेके/एस/2

में यह सारा मामला है। वह ऑफिसर हमारे पास आकर रोई उसने कहा कि मजबूरी में मेरे से यह करवाया गया था। हमने उसको वेव ऑफ किया और जहां तक हमने कॉलेज खोलने की घोषणा की था वह हमने खोला। जहां आप बोलते, सेरी मंच में थोड़े ही कॉलेज खुलना था। नेरचौक में जमीन दी, हमने दी और आप लोगों को बाद में पता लगा। जहां तक ई०एस०आई० दिल्ली वाले आपसे पैसे मांग रहे थे, आपको याद होगा आपने इसी सदन में खड़े हो कर हमें यह कहा था कि आप भी कहो कि इन्ड्रस्ट नहीं लेना चाहिए। हमने भी जैसे आपकी गवर्नमेंट उस समय थी, आपने भी मदद की होगी, आपकी व्यक्तिगत या पार्टी के तौर पर बात हुई होगी, आप हकीकत में यह भी जानते हैं कि किन लोगों ने विरोध किया था। आपके साथ मैं लगातार फोन पर सम्पर्क में था। इसलिए इन्ड्रस्ट वेव ऑफ करने में एन०डी०ए० सरकार ने आपकी बात को माना तो आप उनका भी धन्यवाद करो कि हमने टेक अप किया उसके बाद इन्ड्रस्ट वेव ऑफ हो गया लेकिन क्या चम्बा और हमीरपुर में अगले सेशन में यह कॉलेज शुरू हो जाएंगे, इसमें आप क्लीयर कट एश्योरेंस दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अक्टूबर, 2007 में इलैक्शन की नोटिफिकेशन हो गई। उस वक्त के चीफ इलैक्शन कमिशनर ने हमारी सरकार के साथ बहुत बेइन्साफी की थी। पांच महीने पहले इलैक्शन डिक्लेयर करवा दिए। उनकी क्या एफ्लिएशन थी, उसकी क्या आइडियोलॉजी थी। हमारी सारी की सारी केबिनेट उनके पास मिलने गई कि अभी we are not prepare for the election. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं और उसके बाद सारे बी0जे0पी0 के लीडर्ज उनके पास चले गए और इलैक्शन कमिशनर को परसुएड किया कि यह डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) यह तो बात हो गई। नहीं, नहीं कैसे। जब हम चीफ इलैक्शन कमिशनर से बाहर निकले, आप, शांता कुमार जी और नड्डा जी आदि सारे के सारे अन्दर जा रहे थे। यह ठीक बात है या नहीं है। जहां तक नोटिफिकेशन की बात है यह केबिनेट में मामला आया। केबिनेट में मण्डी में

03.03.2017/1120/जेके/एस/3

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केबिनेट मेमोरेंडम आया। मैंने राजा साहब से निवेदन किया कि दो-तीन जोन हिमाचल प्रदेश में है, साऊथ जोन में मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ जोन में मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में भी है और सेन्टर जोन में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वह केबिनेट मीटिंग में रिकॉर्डिंग है और राजा साहब ने कहा कि मण्डी में भी हम सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। लेकिन उसकी नोटिफिकेशन बैक डेट में हुई या नहीं हुई यह तो सैक्रेटरी बगैरह ने कोई गड़बड़ की होगी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

03.03.2017/1125/SS-AS/1

प्रश्न संख्या: 3694 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत:

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, आप यह कहते हैं कि आप सब यह क्रेडिट न लो। अगर आपने भी इंटरस्ट माफी की मांग की होगी तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पक्ष और विपक्ष से हमारा लोकतंत्र चलता है। इसीलिए मैंने यह भी कहा कि आपने जमीन ट्रांसफर की। इसमें गुमराह करने की क्या बात है। हकीकत आपको माननी पड़ेगी। यह भी आपको मानना पड़ेगा कि श्री गुलाब नबी आज़ाद जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मेरे अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किये हैं। जब एन0डी0ए0 सरकार थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी। चम्बा, हमीरपुर और नाहन के लिए तीन मेडिकल कॉलेज उन्होंने सैंक्शन किये। अभी तो ई0एस0आई0 का प्रश्न है। आपने हमीरपुर और चम्बा के बारे में कहा। मैंने अपने जवाब में कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि चम्बा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भी हम इसी साल से स्टार्ट करेंगे provided we get the teaching faculty and if it is approved by the Medical Council of India, अगर यह कंडीशन पूरी होगी तो निश्चित तौर पर हम चलायेंगे। आपको पता है, मैंने आपसे कहा कि मैंने सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिल्डिंग का इंस्पैक्शन किया। उसके बाद आपसे बात की क्योंकि आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप वहां के विधायक भी हैं। मैंने आपसे अनुरोध किया कि वहां स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई है गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल को इकट्ठा कर दिया जाए क्योंकि गर्ल्स स्कूल में काफी जगह है। अगर वह बिल्डिंग हमको मिल जाती है तो हम उसमें मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर देंगे। I request you to persuade the local leader, your local leader, to handover that building to us और हम निश्चित तौर पर उसको शुरू करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री सुरेश भारद्वाज। --(व्यवधान)--बहुत हो गया। It is enough, I think. अंतिम प्रश्न, श्री प्रेम कुमार धूमल जी।

03.03.2017/1125/SS-AS/2

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी घुमा-फिराकर बात की है। 2007 में केन्द्र में आपकी सरकार थी और यहां आपकी सरकार थी। इलैक्शन कमिशन

ने जो निर्णय किया, वह छः महीने पहले कहीं भी कर सकता था, यह एक कांस्टीट्यूशनल निर्णय था और जिसके खिलाफ आप कई बार हैलीकॉप्टर लेकर दिल्ली जाते रहे, पूरी कैबिनेट भी गई। क्या यह फैक्ट नहीं है कि इलैक्शन कमिशन ने कहा कि यह पैसा पार्टी भरे। हैलीकॉप्टर का खर्चा पार्टी की तरफ से दिया जाए। आपने फिर वह दिया क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया था। मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव तो मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दोनों स्कूलों को इकट्ठा कर दो। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वहां जो एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग बनी है वहां स्कूल शिफ्ट करना है तो स्कूल शिफ्ट कर दो या मेडिकल कॉलेज चलाना है तो उसको चलाओ। यह एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच की बात है। क्या आप आपस में शॉर्ट आउट करके इसको सॉल्व करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश होगी, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑलरेडी मैटर टेक अप किया हुआ है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें सीनियर सेंकेंडरी स्कूल बॉयज़ की बिल्डिंग हैंड ऑवर कर दें और उसके साथ ही हमने हाउसिंग बोर्ड से भी मामला उठाया है कि बच्चों के जो हॉस्टल्ज़ हैं वे हाउसिंग बोर्ड के वहां काफी खाली पड़े हैं हम उसको भी टेक ऑवर करेंगे। एक एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग नाले की दूसरी तरफ है वह बिल्डिंग खाली पड़ी है उसको भी हम टेक ऑवर करेंगे। लेकिन उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, यही नहीं है, आयुर्वेदिक की बिल्डिंग भी हम लेंगे। इनको पैसा देने को तैयार हैं ये कहीं दूसरी जगह बना सकते हैं तो मैंने कहा कि हमारी हर सम्भव कोशिश होगी कि हम सब मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का प्रयास करें प्रोवाइडिड लैंड उपलब्ध हो जाए, बिल्डिंग उपलब्ध हो जाए, टीचिंग फैकल्टी उपलब्ध हो जाए, धन्यवाद।

अगला प्रश्न जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2017/1130/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या: 3695

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न मुख्य रूप से कॉप्रेटिव मिनिस्टर के लिए किया था। अब यह हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफर हो गया है। हिम प्रोसेस कॉप्रेटिव इंस्टिट्यूशन है और माननीय मैडम विद्या स्टोक्स जी को अगर याद होगा तो स्वर्गीय लाल चंद स्टोक्स भी इस हिम प्रोसेस को बनाने वालों में से रहे हैं। मिस्टर सरकैक बहुत अरसे तक इसके एम.डी. रहे हैं और यह शिमला जिला के एप्पल गोअर्ज की अपनी कॉप्रेटिव मार्केटिंग सोसायटी है और इनकी सारी ये प्रॉपर्टी है जो जाबली में प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज है, वह उन्होंने बनाई है। उसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है, कॉप्रेटिव बैंक का भी उसमें पैसा है। उसको चलाने के लिए एच.पी.एम.सी. को दिया गया था। उसका एग्रीमेंट हुआ जिसकी सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जब वह टर्म खत्म होगी, पांच साल का समय खत्म होगा तो वह प्लांट वापिस एच.पी.एम.सी. हिम प्रोसेस को जैसा था वैसा ही उनको हैंड ओवर कर देगी लेकिन समय खत्म हो गया है और एच.पी.एम.सी. उस प्लांट को हिम प्रोसेस को हैंड ओवर नहीं कर रही है और उन्होंने प्लांट खराब कर दिया है, उसको एच.पी.एम.सी. वाले चला भी नहीं रहे हैं। जवाब में भी यह आया है कि उसकी मशीनरी पुरानी हो गई थी इसलिए वह चल नहीं रहा है। अगर चल नहीं रहा है तो वह तो उनका है ही नहीं। वह तो उनको लीज़ पर दिया था। एच.पी.एम.सी. उसको हिम प्रोसेस को वापिस कर दें। वे कोल्ड स्टोरेज एग्रीमेंट के मुताबिक सबलैट नहीं कर सकते थे। माननीय मंत्री जी बताएं कि क्या वे एग्रीमेंट के मुताबिक सबलैट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? उसके बावजूद जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में भी माना है, वह कोल्ड स्टोर उन्होंने किसी को आगे सबलैट कर रखा है क्योंकि उसमें पैसा बनता है इसलिए उसको दे दिया गया है। हिम प्रोसेस का बोर्ड बना हुआ है, मैनेजमेंट है, सारी संस्था है। वे बार-बार वापिस मांग रहे हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उसके बारे में हिम प्रोसेस ने

03.03.2017/1130/केएस/डीसी/2

एच.पी.एम.सी. को नोटिसिज़ दिए हैं कि इसको वापिस कर दिया जाए? रजिस्ट्रार के पास आर्बिटेशन केस भी दायर किया है कि इसको वापिस कर दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो उन लोगों ने, आपने खुद संस्था बनाई थी, उस संस्था को इस प्लांट को वापिस लाकर ठीक प्रकार से चलाएंगे और कोल्ड स्टोर भी चलाएंगे ? क्योंकि यह आपका इमोशनल इश्यू है मैडम और इसको आप वापिस लीजिए, हिम प्रोसैस को चलाइए इसलिए यह प्रश्न मैंने किया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी कुछ कहा। मैं इनसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे कोल्ड स्टोरेज़ की बात ये अभी कह रहे हैं, यह किसी जमाने का हमारा प्रोजैक्ट था।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी-----

3.3.2017/1135/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3695 क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री----- जारी

यह बहुत पहले का प्रोजैक्ट है और उस समय के हमारे प्रदेश के सारे बागवान उस बात को जानते थे। मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रही हूँ जैसे आपने कहा कि जो सबलैटिंग नहीं हो रही है और 5-6 सालों से हमें बड़ी प्रोब्लम आ रही है। लोगों ने अभी जो मेरे पास बात कही है मैं उसके मुताबिक कह रही हूँ कि this matter is sub judice and this case is pending with Registrar और रजिस्ट्रार से करवा भी देंगे। लेकिन जो आपने अभी कई प्रश्न किए उसके लिए ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि मैं आपको पूरे कागजात भेज दूंगी ताकि आपको तसल्ली हो। हमारे यहां पर जितने भी पुराने बागवान हैं उनकी मुश्किलों का

समाधान करने की भी बात कर रहे हैं। हिम प्रोसेस का जो काम है उसकी एनुअल लीज़ 5 लाख रुपये की है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि after every 3 years till the termination of the agreement. The agreement was executed on the following terms and conditions. मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि प्लांट की एनुअल लीज़ 5 लाख रुपये की है। यह बहुत लम्बा हिसाब-किताब है जैसे आपने कहा कि वहां पर दिक्कत आई है और हमारी तरफ से इन्तजाम नहीं हो रहा है, यह गलत है। एच0पी0एम0सी0 के जो इन्टेंट्स थे उसको अचीव करने के लिए प्लांट को चलाया है। उसको रिप्लेस भी कर दिया है और जिस पुरानी मशीनरी की बात आप कर रहे हैं उसके लिए efforts are being made to arrange all the funds and everything for this purpose. यह नहीं है कि उनको छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। The matter regarding the renewal of agreement is sub judice, being pending with Registrar, Cooperative Societies and also HPMC is willing to negotiate with the Him Processes. So I hope you will understand that. Is that right.

3.3.2017/1135/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 3696

श्रीमती आशा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का तीन करोड़ रुपये की राशि जमा करवाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। अस्पताल की बिल्डिंग पूरी करने के लिए आपने कहा है कि 42 लाख रुपये की धनराशि की जरूरत है जबकि लोकल पी0डब्ल्यू0डी0 से बात करने के उपरांत मेरी सूचना के मुताबिक इसकी फिनिशिंग के लिए 82 लाख रुपये की जरूरत है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी करवा दें। दूसरा, इस ब्लॉक के बनने से क्योंकि यह 50 बैडिड हो गया है इसलिए इस अस्पताल की 50 बैडिड की नोटिफिकेशन करवा दें ताकि वहां पर उसी अनुपात में स्टाफ उपलब्ध हो सके। मुझे लगता है कि यह हिमाचल में दूसरा या तीसरा अस्पताल है जो कि सेंट्रली हीटिड है। सेंट्रली हीटिड होने की वजह से इसमें जो

मशीनरी / जनरेटर्ज इत्यादि लगे हैं उनको चलाने के लिए भी स्टाफ की जरूरत होगी इसलिए क्या आप जनरेटर्ज को फंक्शनल रखने के लिए वहां पर दो पोस्टें क्रियेट करने का प्रावधान करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष जी, सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के लिए हमने 3,10,46,192/- रुपये की ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रदान की है जिसमें से लोक निर्माण विभाग को हमने 3 करोड़ रुपये की राशि जमा करवा दी है। लोक निर्माण विभाग ने हमें सूचना दी है कि अब तक 2,48,64,000/- रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने सिविल वर्क्स के लिए 10,46,192/- रुपये, इलैक्ट्रिसिटी के लिए 14,98,830/- रुपये और वॉटर सप्लाई के लिए 16,79,300/- रुपये का ऐस्टिमेट दिया है यानि कुल मिलाकर 42,24,322/- रुपये की राशि मांगी है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/03/2017/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

प्रश्न संख्या: 3696- - क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - -जारी

यह ठीक है कि इस हॉस्पिटल का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है We are constructing one of the most modern buildings. The central heating provision will also be there. इस हॉस्पिटल का 85 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल का कार्य पूर्ण करने हेतु जो भी पैसा चाहिए होगा, उसका अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्टें क्रियेट करनी होगी उनको क्रियेट करने का प्रावधान भी कर दिया जाएगा और 50 बिस्तरों की नोटिफिकेशन भी कर दी जाएगी, यदि कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी होगी।

प्रश्न समाप्त

03/03/2017/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

प्रश्न संख्या: 3697

डॉ० राजीव बिंदल: माननीय उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में ये जो लैंटाना है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 2,35,492 हैक्टेयर वन भूमि इस समय लैंटाना के अन्तर्गत आ चुकी है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जो निजी भूमि है, उसका हमने आज तक कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है कि वह कितनी है? यह इतनी बड़ी गम्भीर समस्या है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर सबसे बड़ा अटैक अगर किसी चीज़ का होगा तो वह लैंटाना का होगा। इसके उन्मूलन के लिए माननीय मंत्री जी ने यहां प्रयास बताए हैं कि हमने पिछले चार साल में लगभग 82 करोड़ 52 लाख रूपया इसके ऊपर खर्च किया है। इन्होंने इसके उत्तर में लिखा है कि कट-रूट-स्टॉक विधि अपना करके इसको खत्म कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने खर्चा किया है और आज तक वन विभाग ने जो प्रयास किए इसके पश्चात् कितना वन क्षेत्र ऐसा है जो लैंटाना से मुक्त हो गया है? आपने प्रश्न के उत्तर में गोलमोल उत्तर दिया है, मैं इसके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ और आपने कितने वृक्ष उसको उन्मूलन करने के पश्चात् लगाए हैं।

दूसरा, उपाध्यक्ष जी मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या आप विधायकों को ले जा करके व्यक्तिगत तौर पर वहां दिखा सकेंगे कि कितने हैक्टेयर में लैंटाना उन्मूलन करके कितने पेड़ लगाये हैं?

वन मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई बिन्दल जी ने जो लैंटाना की समस्या के बारे में यहां प्रश्न उठाया है, ये वाकई बड़ी गम्भीर समस्या है। इसकी वज़ह से सारे प्रदेश में जो 4500 की हाइट से नीचे का एरियाज़ हैं, उसमें ये समस्या है और जो बर्फ वाले एरियाज़ हैं, उसमें ये समस्या नहीं है। यहां पर मैंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया उसमें कांगड़ा व नीचले क्षेत्र में लैंटाना की रेशो और उसके उन्मूलन के लिए जितना पैसा दिया गया है, उसके बारे में भी बता रखा है। इसको जड़ से खत्म करने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं।

श्री आर०के०एस० - - द्वारा जारी।

03.03.2017/1145/RKS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3697....जारी

वन मंत्री.....जारी

वर्ष 2013-14 में हमने कट रूट सिस्टम प्रोसैस शुरू किया ताकि यह जड़ से खत्म हो जाए। जब बरसात होती है, बारिस होती है तो उस वक्त जड़ी-बुट्टियां, झाड़ियां और फ्रूट की जो जड़ी बुट्टियां हैं वे बरसात में दोबारा पैदा हो जाती है। साथ ही जहां-जहां हम लैंटाना को रिमूव करते हैं वहां पर लाँग प्लांटिंग की जाती है, जोकि एरिया व क्लाइमेट के हिसाब से की जाती है। लॉअर बैल्ट में लैंटाना को रिमूव करने के लिए क्लाइमेट के हिसाब से बैम्बू, कचनार, सागवान, तुन्नी, जामन, ओख, शिरस, शिशम और सफेदा लगाते हैं। दूसरा, नूरपुर के चारों तरफ जो एरिया लैंटाना से भरा था उसको उखाड़ कर हमने वहां पर शिशम और सफेदा उगाया है। ऐसे ही पूरे धर्मशाला में भी 1332 हैक्टेयर एरिया में हमने प्लांटेशन की है। नाहन में 672 हैक्टेयर और मंडी में 575 हैक्टेयर एरिया में प्लांटेशन की गई है। पूरे प्रदेश की डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है जिसे मैं माननीय विधायक को बाद में प्रस्तुत कर सकता हूं। जहां तक यह बात की गई की सभी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में जहां-जहां लैंटाना पैदा हुआ है, आप इसे मौके पर दिखाएं तो इसके लिए मैं कंजरवेटर और डी.एफ.ओ. की ड्यूटी लगवाउंगा और जहां-जहां लैंटाना है वहां के संबंधित विधायक को दिखाया जाएगा कि कितनी प्लांटेशन की गई और कितना लैंटाना रिमूव किया गया है। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है और इसे रिमूव करने के लिए कम-से-कम 20 वर्ष लगेगे। अभी तक हमने इस पर 82 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसे मिड हिमालय, मनरेगा, कैम्पा और के.एफ.डब्ल्यू. के तहत रिमूव कर रहे हैं।

श्री इन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो ब्योरा दिया है वह वन भूमि के बारे में ही दिया है। लैंटाना निजी भूमि में बहुत फैला हुआ है। अगर आप वन भूमि का उपचार कर देंगे तो यह सम्भव है कि कुछ वर्षों बाद यह लैंटाना स्प्रेड कर जाएगा। क्या आप निजी भूमि के बारे में भी कुछ करेंगे? दूसरी बात में यह जानना

03.03.2017/1145/RKS/AG/2

चाहता हूँ कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, क्या इसका बीज हवा से जाता है या कैसे जाता है यह भी बतलाने की कृपा करें?

वन मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, जब लैंटाना का बीज तैयार हो जाता है और जब पशु-पक्षी या भेड़-बकरी इसको खाते हैं और जब वह वीट करते हैं तो उस वीट में इसके बीज पड़ जाते हैं तथा उससे यह फैल जाता है। इसके लिए हम अक्टूबर, नवम्बर या दिसम्बर में रूट कट सिस्टम अपनाते हैं, लेकिन अब हमने इसकी पॉलिसी चेंज की है। हमने आदेश दिया है कि जब लैंटाना निकलता/पैदा होता है तो उसी वक्त रूट कट सिस्टम अपनाया जाए ताकि उसमें बीज पैदा न हो। यदि बीज पैदा हो जाएगा तो वह स्प्रेड होता जाएगा और जितना हम खत्म करेंगे, उतना ही वह दोबारा पैदा हो जाएगा। That is the problem. जहां तक एग्रीकल्चर की बात की है, this is the job of the Agriculture Department and the Veterinary Department. They have to survey. हमने वन भूमि का वर्ष 2015-16 में सर्वे किया है उसके मुताबिक हम आपको फैक्चुअल पोज़िशन बता रहे हैं।

डॉ० राजीव बिन्दल: उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मुझे पहले ही शंका थी और माननीय मंत्री जी ने भी वही चीज़ बताई है जो इन्होंने उत्तर में लिखकर दी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और कुछ भी नहीं बताया है। माननीय मंत्री जी रूट कट की बात कर रहे हैं और 672 हैक्टेयर नाहन की भी बात की गई है। मेरा स्पष्ट कहना है कि 82 करोड़ रुपये और इसके अंदर कितना भारी-भरकम भ्रष्टाचार है। इसकी हालत यह है कि जड़ किसी की भी नहीं

उखाड़ी जा रही है। केवल ऊपर से ही टहनी को काटा गया है और काट कर पैसा ले लिया गया है। जड़ वैसी की वैसी है

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

03.03.2017/1150/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3697...क्रमागत

डॉ. राजीव बिन्दल ...जारी

और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तथा वहां पर कोई दूसरी प्लांटेशन भी नहीं हुई है। आपने मुझे सिरमौर जिले की 672 हैक्टेयर क्षेत्र की बात बताई है, मैं आपको मौके पर ले जाकर दिखा सकता हूं यानी इसमें कोई गंभीरता नहीं है। आपका कहना है कि इसमें 20 साल लगेंगे; जितनी तेज़ गति से यह फैल रहा है, 20 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की 75% ज़मीन लैंटाना के अंतर्गत आ जाएगी जबकि आप उन्मूलन की बात कर रहे हैं। आपने स्वयं बताया कि पशु-पक्षियों के माध्यम से इसकी स्प्रेड बहुत ज्यादा है और इसका बीज हार्ड है जो किसी भी समय अनुकूल मौसम पाने पर उग जाता है। इसलिए आपकी ये गतिविधियां नाकाफी हैं। इसलिए जिन्होंने टहनियां काटकर रूट खोदने के पैसे प्राप्त किए हैं, क्या आप इसकी जांच करेंगे?

वन मंत्री : माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ये वास्तव में कह रहे हैं कि इसमें रूट कट सिस्टम नहीं अपनाया गया है। ऐसा नहीं है। विभाग रूट कट सिस्टम से ही यह कार्य करता है, ऐसी कोई अनियमितता नहीं हो रही है। अगर आप हमें प्रैक्टिकली बताएं, मैं अपने अधिकारियों को मौके पर लेकर चलूंगा और मौके पर आपके क्षेत्र को देखेंगे। लेकिन आप थोड़ा-सा सुझाव भी दे दें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए?

प्रश्न समाप्त

03.03.2017/1150/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 3698

श्री राकेश कालिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ओल्ड एज पेंशन के लिए 70 साल की आयु करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस आयु सीमा को 75 वर्ष करने का इरादा रखते हैं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इसमें पेंडेंसी कितनी है? पेंडेंसी का जिलावार ब्योरा यदि अभी आपके पास नहीं है तो बाद में भिजवा दें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार विचार कर रही है कि इस आयु सीमा को 70 वर्ष किया जाए। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो longevity है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार भी और वैसे भी काफी अच्छे स्तर की है। People are quite vibrant and active at the age of 70 और उसका एक उदाहरण हम अपने माननीय सदन में भी देख सकते हैं। And why go so far but if you do think off. The United States President has also crossed the age of 70. जो आप और सूचना चाहते हैं वह इस प्रकार से है कि यदि हम इस आयु को 70 वर्ष करते हैं तो हमारे पास 97425 और ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे और एक्सचैक्कर पर लगभग 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। If we do follow the status-quo, the existing practice that is going on, in that case we can add on to another 83 thousand persons, जो मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया में एक अच्छा कदम होगा। आपने पेंडेंसी का भी पूछा है। मैं समझता हूँ कि एक लाख से ज्यादा लोग पिछले 4 वर्षों में कवर हुए हैं। पेंडेंसी लगभग इस प्रकार की होती गई है कि इसके बाद अगर हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, वह लगभग हर साल पूरे होते जाएंगे।

03.03.2017/1150/SLS-AS-3

Shri Rakesh Kalia: Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has not taken my question properly. I have asked that you want to take the age of 75, but he is discussing only of 70 years of age. I want the break-up of all districts and also want to know how much pendency is lying there.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय सदस्य को मैं पूरा ब्रेक-अप देने का प्रयास करता हूँ।

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2017/1155/RG/AS/1

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

प्रश्न सं. 3698--क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री----क्रमागत

इस समय पूरे वित्तीय वर्ष 2016-17 में जैसा मैंने आपको बताया कि जो बजट का प्रावधान किया था वह 35769.47 लाख रुपये है और उसके बाद 1,06,616 नए अतिरिक्त मामलों की वृद्धि आई है, they have been added onto this list तो जहां तक ब्रेक अप यदि ये चाहते हैं, तो मैं एक-एक जिले का ब्रेक अप दे सकता हूँ। वैसे इसमें काफी विस्तार में लिखा हुआ है, I think really the break-up was not the part of this Question, if I am right in understanding your thing, परन्तु फिर भी माननीय सदस्य ने मांगा है, तो मैं जिलावार पूरे 12 जिलों का ब्रेक अप दे दूंगा। क्योंकि इसको पढ़ने में सदन का ज्यादा समय लगेगा। वैसे मैं इनको बता देता हूँ कि हर बार हमने लक्ष्य से ऊपर ही काम किया है और more than one lakh people have been added onto this list फिर भी जो इन्होंने उत्तर का ब्रेक मांगा है मैं इनको दे दूंगा और यह कल तक इनके पास पहुंच जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 80 वर्ष से ऊपर प्रदेश में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेन्शन कब से लगी, उनको कितनी पेन्शन दी जा रही है और इसमें प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार का कितना-कितना शेयर है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सारा ब्रेक अप पढ़ ही देता हूँ। सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जो वृद्ध, अपंग, विधवा, परित्यक्तता, एकल नारी तथा कुष्ठ रोगी हैं, को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है :- वृद्धावस्था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन, राष्ट्रीय विधवा पेन्शन, राष्ट्रीय अपंगता पेन्शन अर्थात् अपंग राहत। In fact there are seven types of pensions that we are giving at the moment. जहाँ तक इन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का कितना अंश है, तो मैं मोटे तौर पर बता दूँ।

03/03/2017/1155/RG/AS/2

श्री रविन्द्र सिंह : मैंने सिर्फ तीन साधारण से प्रश्न पूछे हैं जिनमें 80 वर्ष से ऊपर की पेन्शन के बारे में और राज्य एवं केन्द्र सरकार के शेयर के बारे में है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : मैं 80 वर्ष से ऊपर का ही दे रहा हूँ। देखिए 80 या इससे अधिक आयु वाले पेन्शनर को जैसा मैंने कहा कि ये सात प्रकार के ब्रेक अप हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पार्टिकुलर पेन्शन इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 80 साल वालों के लिए पूछ रहा हूँ कि यह योजना कब से लागू की गई, इसमें कितनी पेन्शन दी जा रही है और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का इसमें कितना शेयर है? मैं तो माननीय मंत्री जी से बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : This thing has started since 2015 and at the moment हम इसमें 1200/-रुपये प्रति माह दे रहे हैं और इसमें केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है और यह तो प्रदेश सरकार ही दे रही है। मैं तो आपको सारी सात-की-सात योजनाएं बता रहा था because the Hon'ble Member wanted the break-up on that and I will send it to him later. उसमें किसी में केन्द्र सरकार का 300/-रुपये, किसी में

400/-रुपये, किसी में 500/-रुपये, किसी में 600/-रुपये है। एक योजना में 900/-रुपये राज्य सरकार एवं 300/-रुपये केन्द्र सरकार दे रही है। I can read it. It is a long page lying with me.

श्री रविन्द्र सिंह : जो 80 वर्ष से ऊपर वालों को पेन्शन दी जा रही है उसमें केन्द्र और प्रदेश सरकार कितना-कितना शेयर है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : उसमें तो केवल प्रदेश सरकार दे रही है। In that particular thing, Central Government is not paying anything.

प्रश्नकाल समाप्त

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2017/1200/MS/AG/1

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अध्यक्ष: अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय वन मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जोकि इस प्रकार है:-

- i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, हिमाचल वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एफ0एफ0ई-ए(बी)2-17/2015 दिनांक

- 22.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2016 को प्रकाशित; और
- ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एफ0एफ0ई-ए(बी)2-1/2014 दिनांक 04.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.10.2016 को प्रकाशित ।

03/03/2017/1200/MS/AG/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

अध्यक्ष: अब नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे।

अब श्री रविन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय जो कल मैंने यहां आपके समक्ष इस सचिवालय में दिया था आज उसको आपने नियम 62 के अंतर्गत लगाया है। मैं पहले उसका कन्टैक्स्ट यहां माननीय सदन में रखना चाहूंगा।

दिनांक 26 फरवरी, 2017 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "ऑप्रेशन के बाद मरीज की आंखों की रोशनी गई" से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, बड़ा चिन्ता का विषय है और पिछला शरदकालीन सत्र जब धर्मशाला में हुआ था तो उसके एक सप्ताह पहले ही पूरे प्रदेश की एक बहुत बड़ी घटना जिला कांगड़ा में घटी थी। कांगड़ा जिला में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (टांडा) में पांच मरीज अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए गए थे और वह सारी चर्चा उस समय हुई थी। लेकिन क्योंकि इसके साथ उस घटना को भी यहां पर इस समाचार पत्र में लगाया गया है तो वे पांच मरीज जो अंधे हो गए थे उनकी अभी तक भी आंखों की रोशनी वापिस नहीं आई है। इनमें एक सजीवन लाल, आयु 65 जो ज्वाली का रहने वाला है। दूसरा खैराती लाल, आयु 65 वर्ष, पुत्र दुन्नी चन्द यह भी कराली-ज्वाली का रहने वाला है। तीसरा त्रिलोक, आयु 73 वर्ष, पुत्र साबरमल, ऊपरली कोठी, नगरोटा-बगवां का रहने वाला है। चौथा ईशा कुमार, निवासी बोखन ज्वाली जिसकी आयु 68 वर्ष है और पांचवीं गीता देवी, आयु 62

03/03/2017/1200/MS/AG/3

वर्ष जोकि डाडासीबा की रहने वाली है। 14 दिसम्बर, 2016 को ये पांचों मरीज वहां टांडा में अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए दाखिल हुए थे। चिन्ता का विषय यह है कि वहां पर इनका इलाज करने के बाद तुरन्त दूसरे दिन ही इन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके उपरान्त जब इनकी आंखों की रोशनी नहीं आई और दूसरे या तीसरे दिन जब उनकी आंखों में ज्यादा जलन हुई तो वे फिर से अस्पताल में वापिस आए और अस्पताल वालों ने बजाए उनका उपचार या उनकी देखभाल करने के उन पांचों को पी०जी०आई० के लिए रेफर कर दिया। उन पांच मरीजों में से दो पी०जी०आई० चले गए और तीन पेशेंट रोटरी आई अस्पताल मरांडा, पालमपुर में दाखिल हो गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर 21 दिसम्बर को उनको वहां पर मिला भी था। मैं तीनों की पोजिशन देखकर हैरान रह गया था। जो महिला गीता देवी थी उनके सुपुत्र दिल्ली में रहते हैं। वे उनकी बहुत चिन्ता कर रहे थे और यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर उन्होंने बहुत कुठाराघात किया। वे कह रहे थे कि इससे बेहतर होता कि मैं उनको अपने पास वहां ले जाकर इलाज करवाता। उस घटना को घटे अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं। अभी उसकी जांच चली हुई है और जांच पूर्ण नहीं हुई है कि कौन दोषी हैं। अभी पता नहीं है कि उसमें टांडा के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ वाले

या जहां से उन्होंने आंख में डालने के लिए दवाई ली, उनमें से कौन दोषी हैं। अब ये दूसरी घटना अभी हाल ही में हुई है- "रोशनी की आस में लापरवाही का अंधेरा"। यह घटना जिला कांगड़ा के उप-मण्डल फतेहपुर की है। ग्राम पंचायत सुनेरा में टकवाल निवासी नीलमा देवी ने बाईं आंख का ऑपरेशन सिविल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लगाए गए कैम्प में जिसमें दिल्ली से डॉक्टरों की टीम आई थी, में करवाया। यह कैम्प 23 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक वहां पर लगा। वहां पर अन्य मरीज भी आए होंगे लेकिन नीलमा देवी और साथ में प्यार सिंह, कुटवला ये दो पेशेंट जो फतेहपुर के ही हैं इन दोनों की आंखों की रोशनी का इलाज करने के बाद इनको घर भेज दिया गया। लेकिन डॉक्टरों को पता चल गया कि जो दवाई उनकी आंखों में डाली गई या जो इनका इलाज किया गया, शायद वह ठीक नहीं है। इसलिए दूसरे ही दिन इनको फिर से उस अस्पताल में वापिस बुलाया गया और देखा कि उनकी हालत क्या है तो अध्यक्ष जी, उस महिला की आंखों की रोशनी तो बिल्कुल चली गई है। वह बेचारी बिल्कुल अंधी हो गई है लेकिन प्यार सिंह जो कुटवला का निवासी है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

03.03.2017/1205/जेके/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंह:-----जारी-----

उनकी आंखों से उनसे जब पूछा गया तो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा धूंधला नज़र आना शुरू हो गया और उसके उपरान्त बजाय उनको इलाज के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले कर जाते, उनको फिर वहां वापिस भेज दिया गया। दिल्ली से पूरी की पूरी टीम आई थी जिन्होंने यह शल्य चिकित्सा शिविर लगाया था। अब उसमें डॉक्टरों कैसे आते हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितने भी प्रदेश में शिविर लगाने वाले आते हैं उनको चेक किया जाए, उनको देखा जाए कि ये जो टीमों विभिन्न संस्थाओं की है जो कि अपना नाम चमकाने के लिए, विभिन्न एन0जी0ओज़0 अपना नाम उस बैनर के तले ऐसे संस्थान वहां पर लगाते हैं जब तक उनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास नहीं है कि ये जो डॉक्टरों की टीम आ रही है, यह सही है या गलत है। एक तो वे बेचारे जिनकी आंखों

की नज़र चली गई है, वे हैं लेकिन अन्य जो उपचार उन्होंने किए होंगे वे कैसे किए होंगे वह भी देखने व चैक करने का विषय है। ऐसे कितने शिविर पूरे प्रदेश में हर महीने लगते हैं, उसकी डिटेल् भी माननीय मंत्री महोदय केवल आँखों की रोशनी के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य जो उपचार वे करके जाते हैं और उसके बाद साथ में अपने कार्ड दे कर जाते हैं कि आपका हमने यह चैक अप तो कर लिया लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए फलां जगह हमारा हॉस्पिटल है वहां पर इलाज करवाने के लिए आप आ जाएं। इस प्रकार का यह बहुत बड़ा धंधा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का चल रहा है। कल मैं रोहडू के बारे में देख रहा था, जो ठियोग व रोहडू में झोला छाप डॉक्टर्ज हैं, उनके बारे में सिटी चैनल पर सारे का सारा वृतांत आ रहा था कि वहां झोला छाप डॉक्टर्ज आँखों का इलाज कर रहे हैं। वे चश्मा दे रहे हैं। सिटी चैनल वाला जो एंकर वहां पर गया था उसने उनसे पूछा कि जो आप नम्बर वाला चश्मा दे रहे हैं, आपके पास चैक करने का क्या कोई प्रावधान है? उन्होंने कहा कि हम चैक नहीं करते हैं। हमें तो जो ले कर आते हैं हम उसके अनुसार यहां पर फिट करके उनकी आँखों में लगा करके उनको भेज देते हैं। उसने एक डेंटल डॉक्टर को भी देखा। वह डेंटल वाला भी डेंचर को दबा रहा था और

03.03.2017/1205/जेके/डीसी/2

उसने देखा कि पहले का डेंचर बनाया हुआ है। पहले का डेंचर उठाया, मुंह में फिट किया, हिलाया और कहा कि अब यह चल पड़ा। पूछा कि क्या ठीक है, मरीज ने कहा कि हां ठीक है तो डॉक्टर ने कहा कि अब जाओ आपको घर के पास ही डेंचर लग गया। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। यह तो मैंने यहां पर एक उदाहरण दिया क्योंकि कल रात को ही मैंने चैनल पर देखा था इसलिए इसकी चर्चा यहां पर की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरे प्रदेश में एक चिन्ता का विषय है। इसको सरकार अन्यथा न लें। माननीय मंत्री महोदय आपने बड़ी डिटेल् में यहां पर जो अस्पताल खुलने हैं, उनके बारे में भी और जो आपका स्टाफ यहां पर लगना है, उसके बारे में भी और जो आपको फैकल्टी चाहिए, उसके बारे में भी यहां पर चर्चा की है लेकिन चर्चा करने का कोई फायदा

नहीं है जब तक धरातल में हमारी जनता को उसका लाभ प्राप्त न हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जनता त्रस्त है। मेरा प्रश्न आगे लगा है, आप देख सकते हैं। मेरे प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि आँखों के टैक्निशियन चाहिए। देहरा में सारे के सारे, एक आपने डैपुटेशन पर लगा दिया एक आपने ज्वालामुखी को भेजा हुआ है और दूसरा, एक पोस्ट खाली है। यह तो अभी आपने कहा कि डैपुटेशन कल ही आपने कैंसिल किया है। लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूँ कि तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन चीजों की ओर ध्यान दें। इस तरह का हमारे यहां पर दूसरा केस हो गया। पहले टांडा मैडिकल कॉलेज में और वर्तमान में फतेहपुर में जो शिविर लगा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। उन दोषी डॉक्टरों की टीम जो दिल्ली से आई उसके ऊपर निश्चित तौर पर एक कठोरात्मक कार्रवाई हो। वे किसने बुलाए थे, क्यों आए थे? क्या जो बी०एम०ओ० फतेहपुर में बैठा है उसने उनको बुलाया या कोई अन्य एन०जी०ओ० ने उनको बुलाया था? ये जो आँखों की रोशनी गई और पहले वालों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उसका भी जवाब दें। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.03.2017/1205/जेके/डीसी/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो बाहर से एक टीम आई थी, आकाश हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से, उनके ऑपेशन के द्वारा कुछ दो-तीन आदमियों की आँखों की रोशनी जाने के बारे में यहां पर मामला उठाया है। इन्होंने मामला उठाया था कि टांडा में भी ऑपेशन हुआ था। उसका जवाब मैंने धर्मशाला में विंटर सेशन में विस्तृत तौर पर दिया था और मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि हमने इसकी इन्क्वायरी के लिए तीन सीनियर मोस्ट आई०जी०एम०सी० के प्रोफैसर्स तैनात किए थे।

श्री एस०एस० द्वारा जारी-----

03.03.2017/1210/SS-AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत:

उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और डाई ड्रॉप्स, जिसके बारे में यह था कि वह इन्फैक्टिड थी, उस वजह से उन लोगों की रोशनी गई है। पूरे कंट्री में सिर्फ कलकत्ता में ही एक लैब है जहां इसकी जांच की जाती है। अभी हमने उनको ये सैम्पल टैस्ट के लिए कलकत्ता भेजा है। उनकी परसों रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि यह सैम्पल कम था। इसकी और सैम्पल भेजी जाए ताकि उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट दे सकें। **उस पर भी अभी फाइनल रिपोर्ट लेनी बाकी है। जो भी उसमें दोषी पाया गया, उसमें किसी किस्म की लिहाज नहीं की जायेगी क्योंकि आंखों से ही हम दुनिया को देखते हैं।** आंखें किसी भी व्यक्ति के शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। जहां तक अभी जो घटना हुई है जिसके बारे में आपने दैनिक जागरण 26.2.2017 का ज़िक्र किया है, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है:-

अखबार में इस खबर के आने के पश्चात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा और आकाश अस्पताल दिल्ली, जिन्होंने यह शिविर लगाया था, के द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने पहले से ही जांच के आदेश दे दिये थे, जिसके आधार पर विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है :-

1. बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविरों के अन्तर्गत श्रीमती नीलमा देवी आयु 52 वर्ष का 5.2.2017 को बाई आंख का ऑपरेशन किया गया, यह शिविर नागरिक अस्पताल फतेहपुर जिला कांगड़ा में 30 जनवरी 2017 से 5 फरवरी 2017 तक लगाया गया था। यह महिला उच्च रक्त चाप से ग्रसित थी, शुगर उसका बहुत हाई था तथा उसका उपचार चल रहा था। आंख के ऑपरेशन के बाद उसकी आंख में रक्त स्राव हो गया तथा उसके उपरान्त उसने आंख में पानी आने की शिकायत की और ऑपरेशन के बाद वह आंख खोलने में सक्षम नहीं थी। जिस कारण से नज़दीकी रोटरी आंख के अस्पताल मरान्डा में दाखिल किया गया तथा उसके

उपरान्त सैनी आंख के अस्पताल मुकेरिया में जांच करवाई गई। वहां पर उपचार उपरान्त उसकी आंख की दृष्टि में सुधार

03.03.2017/1210/SS-AG/2

हुआ। आकाश अस्पताल नई दिल्ली जिनके द्वारा शिविर में इस महिला का ऑपरेशन किया गया था, के प्रतिनिधि द्वारा उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की पेशकश की, परन्तु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके पश्चात् इसकी आंख की जांच पठानकोट में Vitreo Retinal Surgeon द्वारा की गई तथा उसकी आंखों की रोशनी उपचार के कुछ समय के बाद पूर्णतः वापिस आने की पूरी उम्मीद है।

2. इसी प्रकार श्री प्यार सिंह आयु 68 वर्ष का बाई आंख का ऑपरेशन इसी शिविर के दौरान किया गया। शल्य चिकित्सा के दौरान इसकी आंख में रक्त स्राव होने के कारण उसकी आंख में लेंस नहीं लगा सके। इस मरीज को भी नज़दीकी निजी साई अस्पताल मुकेरिया ले गये थे तथा उसके बाद उसे आकाश अस्पताल के प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में उसकी आंखों की जांच Vitreo Retinal Surgeon द्वारा की गई। श्री प्यार सिंह को पुनः तीन सप्ताह बाद जांच के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में बुलाया गया है। इस प्रक्रिया का सारा खर्च शिविर आयोजक मैसर्ज आकाश अस्पताल द्वारा वहन किया जाएगा।

आकाश अस्पताल नई दिल्ली प्रदेश में इस प्रकार के शिविर वर्ष 2013 से लगा रहा है तथा अभी तक कुल 10000 ऑपरेशन किये जा चुके हैं। जिसमें से 3900 आंख के सफल ऑपरेशन किये गये, जिसमें कि किसी मरीज की आंख को नुकसान नहीं हुआ। यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और पिछले कई सालों से आ रहे हैं। यह

नहीं है कि अभी आ रहे हैं। मैं उसके आंकड़ें भी बताऊंगा कि उन्होंने कितने-कितने शिविर लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन के उपरांत आने वाली कठिनाईयों से सभी भली भान्ति परिचित हैं जिसमें आंखों के ऑपरेशन में 2.5% जटिलता आने की सम्भावनाएं सदैव रहती हैं। बहु विशेषज्ञ शिविरों के आयोजनों से कठिन एवं जन-जातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य

03.03.2017/1210/SS-AG/3

सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत मिल रही है।

मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में और सावधानियां बरती जाएंगी जिससे इस तरह के मामले कम-से-कम हों।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2017/1215/केएस/एस/1

Health & Family Welfare Minister continued . .

You have said that the health services are paralysed in Himachal Pradesh. We are proud of the fact that our health services and doctors are best in the country. आप उन पर विश्वास करें, क्या आपको अपने डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है? Our health indicators i.e. death rate, birth rate, maternity mortality rate, infant mortality rate and fertility rate are best in whole of the country. Let me also inform you.

Sir, in future also, we will take all precautions that such camps, which are being held by the private parties and super speciality wings, will be taken care of. We are spending about Rs. 2.31 crores for holding these camps.

These camps are also being held in tribal areas as also in remote areas of the State. The Shimla Sanatorium Hospital has conducted 9 camps. Akash Hospital, New Delhi has conducted 15 camps. These camps were also held in Tara Hospital, Shimla, Apna Hospital, Bilaspur, Dr. Rajender Prasad Medical College, Tanda and IGMC, Shimla in order to provide facilities of super speciality to all the patients of Himachal Pradesh. **So, I may assure you that in future also we will take all precautions that the teams or the doctors who come for operation they must be scrutinized properly.**

Concluded

03.03.2017/1215/केएस/एस/2

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा

अध्यक्ष: अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति है। इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल चार दिन निर्धारित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दिनांक: 8 मार्च, 2017 को चर्चा का उत्तर देंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावक को 30 मिनट, अनुसमर्थनकर्ता को 20 मिनट व विपक्ष के नेता को 30 मिनट का समय रखा गया है जबकि अन्य सदस्यों को 10 से 12 मिनट का समय रहेगा। अतः मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस समय सीमा में रह कर ही अपनी-अपनी बात रखें और जिन बिन्दुओं पर चर्चा हो चुकी है, उन्हें पुनः न दोहराएं।

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष: कहिए, आपको क्या कहना है?

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, Motion of Thanks to the Governor पेश हो रहा है। हमने उसमें तीन अमेंडमेंट्स दी थी जो कि within time and immediately after the

Governor's Address दी है। लेकिन वे तीनों नोटिफाई नहीं हुई है। अभी मैंने सचिवालय से पता किया तो कहा जा रहा है कि वे हमें बिना सूचना दिए रिजेक्ट कर दी गई हैं।

Speaker: I have not accepted that.

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, वह तो हाउस ने डिसाईड करना है। वह कोई ऐसा मोशन नहीं है जो आपको डिसाईड करना है। हमने स्पैसिफिक अमेंडमेंट दी है कि हमने राज्यपाल महोदय को चार्जशीट इस सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में दी है और उसको मैशन नहीं किया है।

Speaker: I didn't think it proper to place it before the House.

श्री सुरेश भारद्वाज: हमारी अमेंडमेंट तब रिजेक्ट होगी when the House will reject that. उसको हाउस में पुट करेंगे।

03.03.2017/1215/केएस/एस/3

अध्यक्ष: मैं जब डिसाईड करूंगा कि यह अप्रोप्रिएट है, तभी तो उसको हाउस में रखूंगा। I didn't think it appropriate कि हाउस में रखूं। मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री सुरेश भारद्वाज: सर, यह कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। उसको स्वीकार या अस्वीकार हाउस ने करना है। आपका प्रस्ताव अगर हाउस में आ रहा है तो हाउस ही उसको स्वीकार या अस्वीकार करेगा। उसकी अमेंडमेंट भी हाउस में ही आएगी तभी तो वह अस्वीकार होगा।

अध्यक्ष: मैं हाउस में वही चीज़ रखूंगा जो मेरे अधिकार-क्षेत्र के मुताबिक उचित है।

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, वह रूलज़ के मुताबिक ही होगा।

अध्यक्ष: भारद्वाज जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

3.3.2017/1220/av/as/1

अध्यक्ष : क्रमागत

आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) बैठ जाइए, प्लीज। मैं बोल लेता हूँ उसके बाद आप बोल लेना। (---व्यवधान---) आप बैठ तो जाइए। I will read out something for you, then you will know. आप बैठिए।

माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज, श्री रविन्द्र सिंह और श्री सतपाल सिंह सती जी ने दिनांक 1 मार्च, 2017 को जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के लिए सूचना दी है उसमें क्रमशः उल्लेख किया गया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को भ्रष्टाचार के सम्बंध में दी गई चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय उच्च मार्गों की घोषणा के उपरांत की गई कार्रवाई बारे अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया है। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु दी गई धनराशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया है जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के हिन्दी अनुवाद के क्रम संख्या 44, 64 व 126 पर सभी संशोधनों के वर्णित विषयों का उल्लेख किया गया है। जिसके दृष्टिगत इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया है जैसे कि प्रक्रिया नियमों के नियम 297(5) में प्रावधित है। फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो इन बिन्दुओं पर चर्चा में भाग ले सकते हैं।

3.3.2017/1220/av/as/2

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपकी पीठ का अपना महत्व है। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में लोक सभा और राज्य सभा को जब भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय सम्बोधित करते हैं या विधान सभा को राज्यपाल सम्बोधित करते हैं तो यह एक नॉर्मल प्रैक्टिस है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अमेंडमेंट्स दी जाती है कि यह विषय नहीं आया है इसलिए हम संशोधन चाहते हैं। प्रस्ताव पास हो लेकिन इस संशोधन के साथ हो। आपके दृष्टिकोण के हिसाब से उसकी चर्चा की आवश्यकता न हो, आपको लगता हो कि अभिभाषण में सारी बातें आ गई हैं। माननीय सदस्य को लगता है कि इसका जिक्र आना चाहिए था तो आपका सचिवालय उसको कैसे रिजैक्ट कर सकता है? वह अमेंडमेंट्स तो सर्कुलेट होती है, पार्लियामेंट में सर्कुलेट होती है। जिस दिन धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना होता है उस दिन माननीय अध्यक्ष या पीठ पर जो भी व्यक्ति बैठा हो वह उसको पूछता है कि क्या आप इस अमेंडमेंट को मूव करना चाहते हैं या नहीं। कई बार सदस्य विद्द्रा कर लेता है और कई बार वह मूव करता है। सत्तारुढ़ दल की मेजोरिटी होती है और वह वोट से गिर जाता है। यहां पर बैठे बहुत से लोगों को पार्लियामेंट का अनुभव भी है। यह हम पहली बार सुन रहे हैं कि अमेंडमेंट दी और उसको सचिवालय ने ही रिजैक्ट कर दिया। कृपया इस तरह के उदाहरण स्थापित मत कीजिए। आप अपने सचिवालय से कहो कि लोक सभा, राज्य सभा या अन्य विधान सभाओं से पता करें कि क्या कभी दिए गए संशोधन इस तरह से रिजैक्ट हुए हैं जो हाउस को वोट के लिए पुट ही नहीं हुए, जो मूव ही नहीं हुए वह कैसे रिजैक्ट हो गए? 261 नेशनल हाई वे केंद्र से मिले, उनका जिक्र, उनकी डी0पी0आर0 या उनमें क्या प्रोग्रेस हुई या फिर दूसरे कोई भी मुद्दे हों उसको अगर माननीय सदस्य संशोधन के माध्यम से उठाता है तो जब वह मूव होगा तो उस पर सरकार की तरफ से उत्तर आयेगा कि हमने इसमें यह कर दिया, वह कर दिया है। हाउस सुप्रीम होता है, आप उसको वोट के लिए पुट करेंगे तो यदि मेजोरिटी चाहेगी कि पास नहीं होना है तो नहीं होगा और अगर मैजोरिटी चाहेगी कि पास हो सकता है, तो हो जायेगा। कृपया इस तरह का नया मार्गदर्शन शुरू मत कीजिए जो कभी इतिहास में नहीं हुआ हो आप वह इतिहास मत बनाइए।

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/03/2017/1225/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

अध्यक्ष: मेरा इस बारे में यही कहना है कि आपके (विपक्ष) माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव मूव किया है, वह अमेंडमेंट्स वर्णित है। महामहिम राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण में वह चर्चित है। मुझे नहीं मालूम कि और क्या लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन आपने जो तीन अमेंडमेंट्स मांगी है, उन तीनों का ही वर्णन इसमें है। इसलिए मैंने वह एक्सैप्ट नहीं की है, लेकिन उस पर आप चर्चा दे दीजिए, हमें कोई आब्जेक्शन नहीं है। परन्तु जो इस अभिभाषण में वर्णित है, उसकी अमेंडमेंट आप क्यों मांगेंगे? आप कह रहे हैं कि यह चीज इसमें वर्णित नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं कि यह इसमें वर्णित है। -(व्यवधान)- I have to see this. यह मुझे देखना है कि वह बात मुझे हाउस के सामने रखनी है या नहीं रखनी है, वह मेरा अधिकार है। I don't accept that.

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय धूमल जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने विषय यहां माननीय सदन के समक्ष रखा है। लेकिन ये रूलिंग केवल मात्र आपकी (चेयर) की नहीं होनी चाहिए, यह सदन का विषय होता है और इसको एक्सैप्ट/रिजैक्ट करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। -(व्यवधान)-

अध्यक्ष: हर प्रश्न की सक्रूटनी पहले विधान सभा सचिवालय में होती है, उसके बाद वह चर्चा के लिए सदन में रखा जाता है।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपनी जो रूलिंग यहां पर पढ़कर सुनाई है, ये आप उस समय भी कह सकते थे, जब यह विषय चर्चा के लिए रखा गया। आप उस समय भी कह सकते थे कि आपके ये प्रस्ताव संशोधन के लिए आए थे और हमने इनको इन कारणों से रिजैक्ट कर दिया है। -(व्यवधान)-

अध्यक्ष: जब चर्चा की बात आएगी, तभी उसके बारे में बात करेंगे। -(व्यवधान)-

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसमें नेशनल हाईवे का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हमने भ्रष्टाचार के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय को आरोप पत्र/चार्जशीट दिया है, उसके बारे में इस अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। चौदहवें वित्तायोग के माध्यम से पैसे प्रदेश की पंचायतों को

03/03/2017/1225/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

पिछली साल पहुंच गये हैं, लेकिन उसका इसमें कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। हमने यहां पर तीन संशोधन दिए थे, लेकिन तीनों के बारे में इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। -(व्यवधान)-

अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि न0 44 में राष्ट्रीय उच्च मार्ग को लिया गया है। -(व्यवधान)-

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाता हूं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए आबंटित 350 करोड़ रुपये के विरुद्ध अभी तक 306 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और दिसम्बर, 2016 तक 184 करोड़ व्यय दिखाया गया है। यहां पर नेशनल हाईवे 61 सैंक्शन किए हैं -(व्यवधान)-

अध्यक्ष: This is wrong. You can take part in the discussion. आपको चार दिन रखे हैं, उन चार दिनों में आप उन पर चर्चा कीजिए। -(व्यवधान)-

श्री रविन्द्र सिंह: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप से निवेदन है कि कृपया प्रोसिज़र अपनाईये। -(व्यवधान)-

अध्यक्ष: ये गलत बात है। आपने अमेंडमेंट्स में यह लिखा कि इसके लिए चर्चा नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि इसकी चर्चा है और इसलिए मैंने इसको रिजैक्ट कर दिया है। -(व्यवधान)-

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय धूमल जी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है कि जब आपको हमने संशोधन दिए थे, तो आपके सचिवालय को पार्लियामेंट या अन्य राज्य से पूछना चाहिए था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन आए है, इनके ऊपर हम कैसे कार्रवाई करें? क्योंकि इस प्रकार के संशोधन आज से पहले कभी नहीं आए हैं। लेकिन आपने तो इसको अपना अधिकार क्षेत्र समझा। ये अधिकार क्षेत्र व्यक्ति विशेष का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार क्षेत्र पूरे माननीय सदन का है। आपको चाहिए था कि आप हमें (तीनों माननीय सदस्यों) बुलाते और बताते कि आपके संशोधन हम एकसैफ्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री आर०के०एस० द्वार- - - जारी।

03.03.2017/1230/RKS/DC/1

Speaker: I have not accepted it. This is final. आप जो चर्चा चाहते हैं उसमें यह वर्णित है, मैं अमेंडमेंट को बीच में कैसे लगा दूँ। जो आपकी तीनों अमेंडमेंट्स हैं ये राज्यपाल अभिभाषण में वर्णित हैं। आप इस अभिभाषण को पढ़िए। आपने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा नहीं है ये सभी चीजें इसमें इन्क्ल्युडिड हैं। (व्यवधान)... आप बैठ जाइए। (व्यवधान)... I have ruled that. I have not accepted that. मैंने एक्सैप्ट नहीं किया है। अब श्री जगजीवन पाल जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)... This is wrong. I have rejected it. ... (व्यवधान)... आपने न ही राज्यपाल अभिभाषण पढ़ा है और न ही आप रुलज़ पढ़ कर आए हैं। (व्यवधान)... प्लीज बोलिए (व्यवधान)... श्री जगजीवन पाल जी एक मिनट। धूमल जी आप क्या बोलना चाहेंगे?

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सत्र का माहौल ठीक रहे और नियमों का उल्लंघन न हो। आप अपने सचिवालय को कहें कि दिल्ली से पता कर लो की अमेंडमेंट कैसे रिजैक्ट हो सकती है। यदि आप इंसिस्ट करते हैं कि आपने रिजैक्ट करनी ही है तो हमारे लिए इस निर्णय के बाद सदन में बैठना मुश्किल होगा।

अध्यक्ष: मैं आपसे यह कह रहा था कि जो बातें इसमें वर्णित हैं उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, this is under Rules और ये तीनों अमेंडमेंट्स (व्यवधान)...।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज आप प्रश्नकाल में थोड़ी देर बैठे और उससे पहले उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे। क्या हम उस समय यह कहते कि वहां पर अध्यक्ष ही होना चाहिए था? मैशन है, हम कहते हैं कि जितना मैशन होना चाहिए, वह नहीं है। कुछ मैशन है ही नहीं। हमारी आपत्ति वही है। हाउस में वोट के लिए पुट करो

यदि हमारी बात गलत होगी तो यह रिजैक्ट हो जाएगा। आप कैसे निर्णय करेंगे की यह नहीं हो सकता है?

03.03.2017/1230/RKS/DC/2

अध्यक्ष: जो चीजें राज्यपाल अभिभाषण में वर्णित हैं उसमें हम अमेंडमेंट के लिए हाउस में अलाउ नहीं कर सकते हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: सर, हमेशा अलाउ होती है। आपको क्या हो गया है?

अध्यक्ष: जो चीजें वर्णित हैं उसमें नहीं होती है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अमेंडमेंट ऐसे ही आती है, सर्कुलेट होती है। (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जब बजट आएगा तो कट-मोशन आएगी तब क्या आप रिजैक्ट करेंगे की यह बजट में मैशन है।

अध्यक्ष: कट-मोशन आएगी तो उसमें रीज़न देंगे तभी कट मोशन (व्यवधान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: उसमें हम यह कह देंगे कि जो 61 नैशनल हाईवे हैं उनका जिक्र नहीं है। इसलिए हम कट-मोशन दे रहे हैं कि एक रुपया कम कर दिया जाए, तो क्या आप उसको रिजैक्ट करेंगे?

अध्यक्ष: कट-मोशन तो मैम्बर का राइट है (व्यवधान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: यह भी हमारा राइट है।

Speaker: No, it is not.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था और आपने यह बात मान ली।

Speaker: When the things are included in the Governor's Address then they cannot be kept for amendments. जो उसमें चर्चा है तो उसमें क्या चर्चा करनी है। अगर चर्चा नहीं है then you can do it.

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

03.03.2017/1235/SLS-DC-1

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धूमल साहब 10 साल तक इस सदन के नेता रहे हैं और इन सालों में इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर यहां पर दिया है। लेकिन अब यह नई परिपाटी डाली जा रही है। आप बताएं कि जब 10 साल तक आप सदन के नेता रहे, क्या कभी ऐसा संशोधन आया? आपने 10 सालों तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को यहां पर फेस किया है। क्या कभी एक बार भी संशोधन की बात हुई? यह बात सही नहीं है और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की गरिमा के भी अनुकूल नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चर्चा आरंभ करवाएं।

श्री सुरेश भारद्वाज : अगर आपने इसे नहीं मानना है तो आप रूल 24 को समाप्त कर दें।

अध्यक्ष : क्या रूल को ही खत्म कर दें। ... (व्यवधान)... क्या आपने रूल को पढ़ा है। प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी, आप अपनी बात रखें।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जब 10 साल तक हम सत्ता में थे, तब चर्चा होती रही। तब अगर विपक्ष सोया रहा और अमेंडमेंट नहीं दी तो क्या हम आपको कहते कि आप अमेंडमेंट दो। जब जागे तभी सुबह। अब जब हमें लगा कि सरकार पर कोई असर ही नहीं हो रहा है तो हमने अमेंडमेंट दे दी। इसमें इतनी आपत्ति क्यों है? अध्यक्ष महोदय, आपका रूल-24 चर्चा अलौ करता है। (माननीय अध्यक्ष अपनी बात रखने हेतु आसन से खड़े हुए।) अध्यक्ष महोदय, जब आप खड़े हुए हैं तो मैं नियम के मुताबिक बैठ जाता हूँ।

अध्यक्ष : रूल-24 में पढ़कर सुना देता हूँ। मुश्किल यह है कि आप न रूलज पढ़कर आते हैं और न ही आपने गवर्नर एड्रेस पढ़ा है। "Amendments may be moved in writing or online to such Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker". सुनिए। If the power has been given to the Speaker, he will see that you have moved appropriately or not. इसलिए मैंने यह कहा कि जो चर्चा आपने वर्णित की है वह गवर्नर एड्रेस में है और इसलिए मैंने अमेंडमेंट रिजैक्ट कर दी है।

03.03.2017/1235/SLS-DC-2

This is a Rule. और उसके बाद कोई बात ही नहीं है। And if you don't want to adhere to these Rules then that is different thing. यह रूलज में है और यह मेरा अपना बनाया रूल नहीं है।

श्री जगजीवन पाल जी, आप चर्चा आरंभ कीजिए। ----(interruption)--- No please, nothing. ----(interruption)--- No interruption please. मैंने एक बार जब इसे अक्सैप्ट नहीं किया है तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है।

(विपक्ष के सभी सदस्य वाक आउट कर नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए।)

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2017 को जो सभा को संबोधित किया है, उसके लिए उनकी सेवा में निम्न शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

"इस सदन में एकत्रित सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें संबोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, दुःख की बात यह है कि महामहिम राज्यपाल जी का 1 मार्च, 2017 को जब अभिभाषण हुआ था, उस वक्त हमें खुशी हुई थी कि महामहिम जी ने अपना

अभिभाषण समाप्त करने से पहले 'ओम् शांति' का उच्चारण 3 बार किया था। उस वक्त हम लोगों के दिमाग में यह बात आई थी कि इस बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, विपक्ष के लोग हैं,

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2017/1240/RG/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल)-----क्रमागत

महामहिम राज्यपाल महोदय के शब्दों का इनके ऊपर जरूर असर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो पिछले चार वर्षों में इस सदन में नहीं हुआ, वह आज हो रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, मुझे चर्चा शुरू करने का मौका दिया गया है और विपक्ष के नेता और उनके साथ-साथ सारी टीम जो सदन से बहिर्गमन करके बाहर चली गई है, यह बहुत ही निन्दनीय और दुःख का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में सरकार ने जो कार्य किया है उसकी चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 129 बिन्दुओं पर की है। सबसे पहले आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो छठी बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने अपने तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए प्रदेश के हर वर्ग की सहायता करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति लाने की कोशिश की है। जो मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल बनाने की कोशिश की है, जो हाई स्कूल या मैट्रिक स्कूल थे उनको प्लस टू करने की कोशिश की है और लगभग 154 माध्यमिक स्कूल, 109 राजकीय उच्च पाठशालाओं को क्रमशः उच्च पाठशालाओं व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लड़कियों को शिक्षा का मौका देने की बात है, उनको मौका देने के लिए ग्रामीण इलाकों में 17 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इसके बावजूद हमारा जो हिमाचल प्रदेश का एक मात्र विश्वविद्यालय है उसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है जो हमारे लिए हर्ष की बात है। इसके साथ-साथ

प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक महात्मा गांधी वर्दी योजना के तहत दो-दो वर्दियां और साथ में कपड़ों की सिलाई का पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है और जो सबसे अच्छा काम हुआ है वह यह है कि प्लस वन एवं प्लस टू के सरकारी स्कूलों के बच्चों को वर्दियों की सुविधा नहीं थी, लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने प्लस वन एवं प्लस टू के बच्चों को भी दो-दो वर्दियां और उनको सिलाने के लिए पैसे देने की कोशिश की है जो एक प्रशंसनीय कदम है।

03/03/2017/1240/RG/AG/2

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे आई.आर.डी.पी., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें निःशुल्क लगभग 9,69,00,000/-रुपये खर्च करके किताबें मुफ्त दी गई हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2017/1245/MS/AG/1

श्री जगजीवन पाल जारी-----

और इस तरह से 1 लाख 4 हजार 221 विद्यार्थियों को यह लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आए और बच्चों को बैठने के लिए अच्छी जगह मिले, इस हेतु करोड़ों रुपया स्कूलों की इमारतों को बनाने के लिए लगाया गया है। इसी तरह से स्मार्ट क्लास रूम बनाने की कोशिश की गई है ताकि गुणात्मक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के बच्चों को मिले। यह भरपूर कोशिश आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की है लेकिन जहां तक हमारे विपक्ष के साथियों की बात है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो पूर्व में पांच बार मुख्य मंत्री रहे हैं और अब छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं, इन्होंने इस बार पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए एक जोरदार काम करने की कोशिश की है। उसका उदाहरण मुझे लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगा। मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं

और लाखों लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति तक सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं वे पहुंचें। यह एक सराहनीय कदम है।

जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है उसमें पहले हमारे प्रदेश में दो मेडिकल कॉलेज एक आई0जी0एम0सी0 और दूसरा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज (टांडा) थे। यह मुबारिकवाद वाली बात है कि नाहन का मेडिकल कॉलेज डॉ0 यशवन्त सिंह परमार जी जो हमारे प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री थे, उनके नाम से खोला गया है और वहां भी क्लासिज शुरू हो गई हैं। वह भी एक सराहनीय कदम है। जो मण्डी में नेरचौक में ई0एस0आई0 का मेडिकल कॉलेज है उसको भी हिमाचल सरकार ने अपने पास ले लिया है और उसका फायदा हिमाचल प्रदेश के जो हमारे खासकर निचले क्षेत्र के लोग हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा हमीरपुर तथा मण्डी में भी मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं ताकि हमारे प्रदेश के बच्चों को जैसे पहले पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, अब न जाना पड़े। इस तरह अब उनको प्रदेश में ही पढ़ने का मौका मिल रहा है। यह भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कई पी0एच0सीज0 ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की कोशिश की है। पी0एच0सीज0 को सी0एच0सीज0 भी बनाया गया है ताकि नजदीक-से-नजदीक हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरमन्द लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो तथा उनको घर के नजदीक ही डॉक्टर मिले। इसके अलावा बहुत बड़ा विस्तार स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है ताकि हमारे बड़े-बड़े अस्पतालों में कम

03/03/2017/1245/MS/AG/2

रश पड़े और घर के नजदीक ही प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधा मिले बल्कि वह सुविधा लोगों को मिलनी भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी गुणवत्ता हेतु मुख्य मंत्री जी की ओर से धीरे-धीरे कोशिश की जा रही है। प्रदेश में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिज तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

03.03.2017/1250/जेके/एस/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल):-----जारी-----

ये जो थोड़ी-बहुत कमियां हैं, कमियां रहने की कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन यदि होंगी भी तो थोड़े महीनों के अन्दर-अन्दर उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर दी जाएगी और अगर कोई कमियां रही भी हैं तो उसका कारण वही है कि बड़ी तेजी से हर क्षेत्र में बड़ें जोरों से विस्तार हो रहा है और धीरे-धीरे स्टाफ ट्रेंड हो रहा है। जहां-जहां पर भी संस्थान खुले हैं वहां पर लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ-साथ मुझे याद है कि हमारे प्रदेश में जो हृदय रोगी होते थे उनको आई0जी0एम0सी0 में इलाज की सुविधा नहीं होती थी लेकिन आज आई0जी0एम0सी0 में पूरी तरह से वह सुविधा मिल गई है और हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में भी वह सुविधा शुरू कर दी गई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, अपने कांगड़ा वासियों की तरफ से, चम्बा वासियों की तरफ से निचले क्षेत्र के सारे लोगों की तरफ से और हिमाचल की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और मुबारकवाद देता हूं। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री जी ने, खास करके जिसका समाज में एक बहुत बड़ा आदर हुआ है और बहुत बड़ा असर हुआ है, यहां जब प्रश्नकाल हो रहा था तो हमारे वरिष्ठ सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी बार-बार पूछ रहे थे कि 80 वर्ष के कितने लोगों को पेंशन लगी तो मुख्य मंत्री जी ने इस सोशल सेक्टर में बहुत बड़ा और अच्छा कदम लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आदरणीय महामहिम जी ने जो अभिभाषण शुरू करने से पहले शब्द कहे थे, ओम शान्ति तीन बार कहा था, उसका असर मेरे ख्याल में हमारे विपक्ष के साथियों पर हो गया है और वे अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए हैं इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जब हम सारे के सारे विधायक कांग्रेस के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी गांवों में जाते थे, तो वहां कई माताएं और बुजुर्ग आ जाते थे कि हमारे बेटे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे थे तो भी उनकी अपनी इच्छा थी कि हमारे अपने पैसे हमारे पास हों।

03.03.2017/1250/जेके/एएस/2

खासकर हमारी माताओं में यह इच्छा ज्यादा थी। तो 80 साल के व्यक्ति के लिए यह 1200 रुपये पेंशन और अभी-अभी पिछले दिनों जो 7200-7200 रूपया, 6-6 महीने की पेंशन उनको मिली है तो कई उन बुजुर्गों से मिलने का मौका मिला और वे खुशी के मारे धन्यवाद करते हैं। हमारा भी करते हैं और आप लोगों का भी करते होंगे। एक बहुत अच्छे विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन लोगों को एक आदर दिया है, जिनके बेटे नौकरी में भी है लेकिन उनको भी पेंशन लगेगी। इसके लिए मैं आपको मुबारिक देता हूँ और यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके बाद आपने एक 18 साल से 45 साल तक की जो विधवाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से, वह भी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उत्पीड़ित है। छोटी-छोटी, 24-25 साल की जो लड़कियां विधवा हो जाती है उनके लिए भी 650 रूपए बाकियों की तरह मिलता था। अब आपने उनकी पेंशन भी 1200 रूपए की है। यह भी एक सराहनीय कदम है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

03.03.2017/1255/SS-AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) क्रमागत:

जो महात्मा गांधी वर्दी योजना है उसके बावजूद आपने +1 और +2 के बच्चों को जोकि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं साल में दो बार वर्दी और साथ में सिलाई के पैसे देने की कोशिश की है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको इसका सीधा फायदा हुआ है। यह बहुत सराहनीय कदम आपने उठाया है।

महामहिम के अभिभाषण में आया है, वैसे तो पिछले चार सालों की उपलब्धियों को गिनाया जाए तो उसमें काफी समय लग जायेगा लेकिन पिछले वर्ष के बारे में अभिभाषण में आया है

कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 (आर्टस), टी0जी0टी0 (नॉन-मेडिकल), टी0जी0टी0 (मेडिकल), सी0एंड0बी0 और कई तरह की कैटेगिरीज़ हैं उनके पैसे बढ़ाए गए हैं। वह एक सराहनीय कदम है। हज़ारों की तादाद में नौकरियां दी गई हैं। गांव के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिला है। इसके बावजूद आपने अभी-अभी निर्णय लिया है, शायद 129 बिन्दुओं में वह कवर नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि तीन हजार के लगभग जो जलवाहक डेली वेज पर थे उनको सरकारी नौकरी में पक्का कर दिया गया है, वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने उनकी पीड़ा को समझा है और थोड़े दिनों के बाद वे सरकारी कर्मचारी गिने जायेंगे। एक आपका निर्णय है कि जो 10 साल का समय पूरा कर लेते हैं उनको डेली वेज कर देते हैं वह भी एक बहुत अच्छा निर्णय है। हमारे प्रदेश में आपने एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 शुरू की और जो सरकारी हॉस्पिटल्ज़ में हमारी बहनें प्रसूतिकरण के लिए जाती हैं जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज हमारे कांगड़ा में बहुत नज़दीक है वहां पर चाहे सीजेरियन ऑपरेशन भी किसी बहन का हो, उसका 25 या 30 हजार रुपया खर्चा आता हो, दवाइयों का खर्चा आता है, उसे सरकार वहन करती है। इसका समाज में बहुत बड़ा असर है। उसके लिए समाज धन्यवाद करता है। मैं भी उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

03.03.2017/1255/SS-AS/2

ट्रांसपोर्ट सैक्टर में भी हिमाचल प्रदेश में जो पुरानी बसें थीं उनको बदल कर नई बसें आई हैं। उसका फायदा पूरे हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी मैं थोड़ा-सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अब सड़कें ज्यादा बन रही हैं। जितनी सड़कें ज्यादा बन रही हैं उतनी लोगों की मांग भी बढ़ रही है कि उनकी सड़कों पर बसें चलाई जाएं। आपने एक बहुत अच्छा निर्णय यह किया है कि महिलाओं के लिए आपने किराये में 25 परसेंट छूट दी है, वह भी एक सराहनीय कदम है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा-सा अतिरिक्त समय देना, आपने घंटी भी पहले ही बजा दी है। लेकिन एक विषय बड़ा गम्भीर है जो प्रदेश से संबंध रखता है।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2017/1300/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) जारी---

हमारे कुछ साथी बोलेंगे कि यह बात हमारे प्रदेश से सम्बन्ध नहीं रखती। सिंचाई और पीने के पानी के बारे में एक अभूतपूर्व क्रान्ति हिमाचल प्रदेश में आई है। बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें पीने के पानी की हिमाचल प्रदेश में लग रही हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से थोड़ा सा निवेदन है कि इनमें कुछ फील्ड कर्मचारियों की थोड़ी बहुत कमी आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। लोगों को पीने के लिए हर घर में स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। मैं खासकर महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव था, उस समय महिलाओं को उकसाने के लिए बड़े-बड़े भाषण दिए गए थे। चाहे आपके केन्द्रीय नेता हों चाहे आप किन्हीं भी पदों पर हों, बड़े-बड़े भाषण दिए कि हम अपनी बहनों के लिए यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन मैं केवल एक साल की ही बात बता रहा हूँ। पिछले कल भी गैस सिलिण्डर की कीमत 87 रुपये बढ़ गई है।

पिछले छः महीनों में 270 रुपये एक सिलिण्डर की कीमत बढ़ी है। दिल्ली की सरकार ऐसा करती है और बहनों को ये ही पता नहीं है कि यह यहां पर हमारी सरकार कर रही है या केन्द्र सरकार कीमतें बढ़ा रही है। जो कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, चले गए। एन.डी.ए. के ढाई साल के कार्यकाल में एक सिलिण्डर की कीमत 700 रुपये बढ़ी है जो कि बहुत ही चिन्तनीय और निन्दनीय विषय है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जब अरहर की दाल 85 रुपये किलो हो गई थी और प्याज थोड़ा सा मंहगा हो गया था तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा गले में प्याज के हार डालकर नारे लगाने लगी थी जबकि अब तो यह कीमत 200 रुपये से ऊपर चली गई है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का

समय लूंगा। 8 नवम्बर को मैं हिन्दुस्तान में काले अध्याय का दिन गिनुंगा। उस दिन हम तो खबरें सुन रहे थे एकदम टी.वी. पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने रातोंरात नोटबन्दी के ऊपर जो कुछ कहा सारा देश स्तब्ध रह गया। चलो वह भी हो गया। सैंकड़ों लोग, लगभग 200 के करीब लोग लाइनों में खड़े-खड़े मर गए। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग इस बात पर हंस रहे हैं और लोग मर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि

03.03.2017/1300/केएस/एजी/2

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उन मृतक लोगों के परिवारों के लिए एक शब्द भी दुख का नहीं कहा। इससे तो अच्छा है कि यू.पी. के मुख्य मंत्री ने उस समय उनके राज्य में इस तरह से जो लोग मरे थे, उनके परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

3.3.2017/1305/av/dc/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)----- जारी

लेकिन प्रधान मंत्री के मुंह से सांत्वना के दो शब्द भी नहीं निकले और यह बड़े दुख की बात है। नोटबन्दी हुई और अब आपने उसका जश्न मनाना भी बंद कर दिया है। यू0पी0 में तो लोग आपको मारने पड़ रहे हैं और आप लोगों को पूछ रहे हैं कि यह नोटबन्दी, नोटबन्दी क्या है? कल से खबर आ रही है कि अपने पैसे निकालने पर बैंक टैक्स लगायेगा, यह क्या हो गया? पहले तो पैसे निकालने में पाबन्दी थी, पैसे निकालो मत। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि बैंकों में इकट्ठे करते जाओ और निकालने नहीं है। अपना पैसा भी नहीं निकालना। पहले इन्होंने पाबन्दी लगाई कि 24 हजार रुपये निकालेंगे, उसके बाद फिर पाबन्दी और अब अपने ही पैसे निकालने में पाबन्दी लगा दी। अब कह रहे हैं कि अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो उसके ऊपर 150 रुपये टैक्स लगेगा। ए0टी0एम0 से चौथी बार पैसा निकालेंगे तो टैक्स लगेगा। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि डिजिटल करो, जब में पैसा मत रखो। यदि चार

बार से पांचवी बार निकालेंगे तो 150 रुपये टैक्स लगेगा। यह कौन सा टैक्स आ गया? आज एस0बी0आई0 ने भी कर दिया और यह एक नई चीज आ गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। आदरणीय प्रधान मंत्री जी कभी मन की बात बोलते हैं, कभी कुछ बात बोलते हैं। मगर हमारे जो पूर्व प्रधान मंत्री है (---व्यवधान---) मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं नाम थोड़े ही ले रहा हूं। (---व्यवधान---) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। (---व्यवधान---) कोई बात नहीं, पार्लियामेंट भी जायेंगे मगर आपको (श्री सुरेश भारद्वाज) पूछ कर नहीं जायेंगे। (---व्यवधान---) अगर पार्लियामेंट में भी जाना होगा तो आपको पूछ कर नहीं जायेंगे अपने साथियों को पूछ कर जायेंगे। उसके लिए आपको नहीं पूछेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे पूर्व प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, वह अच्छी नहीं है। मनमोहन सिंह जी बुजुर्ग है, उमर में बड़े हैं और आर्थिक विशेषज्ञ है। आप उनके

3.3.2017/1305/av/dc/2

लिए ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं। वह भी प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी के लिए कर रहे हैं? आज देश जिस ढांचे पर खड़ा है (---घंटी---) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपनी बात पूरी करने की परमिशन चाहूंगा। मैं आपको वर्ष 1993 की बात याद करवाना चाहता हूं जब श्री नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे और डॉ० मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उस समय पूरी दुनिया में मंदी आई थी और हिन्दुस्तान को बचाने वाला केवल एक व्यक्ति था। वे डॉ० मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने इस देश में कोई मंदी नहीं आने दी। आदरणीय प्रधान मंत्री जी उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वे बाथरूम में रेनकोट पहन कर नहाते हैं और दूसरों के बाथरूमों में झांकते हैं। आप लोग हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा निन्दनीय विषय है। मैं यहां पर रामदेव जी का नाम भी लेना चाहूंगा। रामदेव जी भी जब अपनी कोई चर्चा शुरू करते थे तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की टीम के एक पार्ट थे। योगा की बात करते हुए वे एक बार कहते थे कि अनुलोम-विलोम, कपालभाती करो और साथ ही कांग्रेसियों को गाली देना शुरू कर देते थे। वे कई

बातें बोलते थे और उनके पास कुछ स्पेशल आंकड़े थे कि विदेशों में कांग्रेसियों के इतने हजार करोड़ रुपये पड़े हैं उसको हम लायेंगे और 15-15 लाख रुपये देंगे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/03/2017/1310/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) - - क्रमागत

मैं यह अखबार की खबर का जिक्र कर रहा हूँ। अब रामदेव जी बोल रहे हैं कि मेरा उस कालेधन से कुछ लेना-देना नहीं है। इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को पूछो। प्रधान मंत्री जी को जब पूछते हैं, तो वह कहते हैं कि मुझे भी अब फिगर याद नहीं है, मैंने उस वक्त जो बोल दिया है, वह बोल दिया है। मैंने यह नहीं कहा था कि 100 दिन में कालाधन वापिस लाऊँगा और महंगाई समाप्त कर दूँगा। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है, जब मैं नोटबंदी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ शब्द कह रहा था, तो आप (विपक्ष के माननीय सदस्य) हंस रहे थे। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। जिनके साथ यह घटना घटी है, उनके घरों में जाकर पूछो। आप लोग इसको हंसी की बात मत समझो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अन्त में, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2017 को इस सदन को सम्बोधित करने के लिए उनकी सेवा में निम्न शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं .."

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं .."

अब श्री संजय रतन जी प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

03/03/2017/1310/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

श्री संजय रतन: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय श्री जगजीवन पाल जी (मुख्य संसदीय सचिव) ने महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुसमर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये जो महामहिम राज्यपाल महोदय का इस सदन को सम्बोधित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है, इसके माध्यम से पिछले सालों में सरकार ने राज्य में जो विकास किया होता है, उसका वर्णन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया जाता है। यहां पर बहुत-सी चर्चाएं हुईं। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स डालने का प्रस्ताव रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, ये पिछले साल का जो बजट होता है, उस बजट के अनुसार सरकार ने साल-भर में क्या-क्या काम किए हैं, उसको अमलीजामा पहनाने में सरकार कहां तक सफल हुई है? उसको अभिभाषण में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे चीजें होती हैं, उनको आने वाले बजट में शामिल किया जाता है। मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने दिसम्बर, 2012 में हिमाचल प्रदेश की बागडोर छट्ठी बार सम्भाली और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। हमें भी उनके नेतृत्व में इस माननीय सदन में आने का मौका मिला। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सम्मान विकास किया है।

श्री आर0के0एस0- - द्वारा जारी ।

03.03.2017/1315/RKS/AG/1

श्री संजय रतनजारी

आप किन्नौर से लेकर भरमौर तक और लाहौल से लेकर सिरमौर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आप पायेंगे कि पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुआ है। चाहे वहां से सत्ताधारी पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो। सरकार ने सभी चुनाव क्षेत्रों में एक समान विकास करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को हर सुविधा प्रदान करने का प्रयास माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जहां शिक्षा संस्थानों का अभाव था वहीं आज पूरा प्रदेश एक शिक्षा का हब बन चुका है। हर गांव, हर पंचायत में शिक्षा संस्थान खुले हैं। चाहे वे स्कूल अपग्रेड करके खोले गए हों या नए शिक्षा संस्थान खोले हों। हिमाचल प्रदेश में आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो घर की रोटी खाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जहां हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में केवल मात्र 10-12 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, वहां आज 119 डिग्री कॉलेज काम कर रहे हैं। हर कॉलेज में विद्यार्थी हैं। आप अपने (श्री नरेन्द्र ठाकुर की ओर इशारा करते हुए) सुजानपुर के डिग्री कॉलेज को ही देख लीजिए, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। हमीरपुर जिला के सभी डिग्री कॉलेज को देख लीजिए। जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोले हैं उन कॉलेज में स्ट्रेंथ को देखिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा संस्थान/ डिग्री कॉलेज खोले गये हैं उनमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की तादाद ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, जो वर्षों से घर बैठी हुई थी, आज घर की रोटी खाकर ग्रेजुएशन की शिक्षा अपने क्षेत्र में ही ग्रहण कर रही हैं। इसी तरीके से केवल मात्र स्कूल/ कॉलेज ही नहीं खोले गए बल्कि इन शिक्षा संस्थानों में सारी मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, जोकि एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए चाहिए। मेरे विपक्ष के भाई सोचेंगे कि शिक्षा संस्थान तो खोल दिए गए लेकिन उनमें अध्यापक नहीं हैं। कोई भी संस्थान खोलने के लिए समय लगता है। अगर कोई भवन बनाना होता है तो उस भवन के लिए पहले

03.03.2017/1315/RKS/AG/2

ज़मीन का चयन किया जाता है, उसके बाद उसकी नींव खोदी जाती है, पिलर दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर खिड़की-दरवाजे रखे जाते हैं, तब जाकर उसके ऊपर सलैब पड़ती है। सीधी हवा में सलैब नहीं पड़ जाती। (व्यवधान)...ठेकेदारी में नहीं करता हूं आप में से कई लोग करते हैं। यह वास्तविकता है। सरकार ने अगर संस्थान खोले हैं तो उनमें अध्यापक भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी। इसके लिए चयन भी हो रहा है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन, सबोर्डिनेट कमीशन और विभाग के द्वारा हजारों की तादाद में अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं। कुछ अध्यापक नियुक्त हो चुके हैं और कुछ अंडर प्रोसेस हैं। आने वाले समय में भी बहुत से अध्यापक इन संस्थानों में नियुक्त किए जाएंगे ताकि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा अपने क्षेत्रों में ही मिले। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुविधाओं का बहुत अभाव था। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने बहुत उन्नति की है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से हैल्थ सब-सेटर खोले गए हैं। बहुत सी पी.एच.सीज़ खोली गई हैं। बहुत सी पी.एच.सीज़ को सी. एच.सीज़ बनाया गया और बहुत से सिविल हॉस्पिटल बनाए गए। एलोपैथिक के साथ आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया गया है। हमारे बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर एलोपैथिक के संस्थान नहीं थे। वहां पर आयुर्वेद संस्थान खोले गए हैं और उनमें डॉक्टर, नर्सिज़ व पैरामैडिकल स्टाफ भी अप्वाइंट किया गया है ताकि तत्काल किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़े तो वह सुविधा उन्हें गांव में उपलब्ध हो और उसके बाद वे सिविल हॉस्पिटल/मैडिकल कॉलेज में जाएं। आज टांडा मैडिकल कॉलेज और आई.जी.एम.सी. में बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जिनका वहां अभाव था, अब उनको सुधारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर, चम्बा और नाहन में भी मैडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

03.03.2017/1320/SLS-AS-1

श्री संजय रतन...जारी

नेरचौक में जो ECS का मैडिकल कॉलेज था जिसके बारे में आज सुबह भी चर्चा हुई, उसको भी सरकार द्वारा अधिग्रहण करके चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विपक्ष के भाइयों से एक और बात पूछना चाहता हूँ। जब पूरे हिंदुस्तान में ECS के अस्पतालों को केंद्र सरकार चला रही है तो क्या वह नेरचौक के अस्पताल को नहीं चला सकते थे? लेकिन आज यहां कांग्रेस पार्टी सरकार होने के कारण इससे पीछे हट गए। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस कॉलेज को टेक-अप किया और सरकार इसको चलाने का प्रयास कर रही है।

इसके साथ ही मुख्य मंत्री महोदय ने हमारी सारी सोशल ओब्लिगेशंस को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे जितने भी गरीब लोग, विधवाएं या सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों को सहारे की ज़रूरत थी, उन सबको पेंशन दी जा रही है। आज लगभग 4 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन दी जा रही है। पिछले साल पेंशन के 50,000 नए मामले सैंक्शन किए गए हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस सैक्टर में आगे बढ़कर लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए हाथ बढ़ाया है।

इसके साथ-साथ नौजवानों के लिए कौशल विकास भत्ते की बात की है। आज बहुत से नौजवानों को कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)... हम गलत जगह नहीं बल्कि ठीक जगह फंसे हैं। कौशल विकास भत्ते के द्वारा हम अपने नौजवानों को निपुण करके सक्षम बनाना चाहते हैं। हम किसी को निठल्ला नहीं बिठाना चाहते। निठल्ला बिठाकर हम किसी को भत्ता नहीं देना चाहते बल्कि उन्हें कौशल विकास भत्ते के तहत लाकर अपना रोज़गार पैदा करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।

मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन स्थल है। धार्मिक पर्यटन की हिमाचल प्रदेश में बहुत संभावना है। इसके लिए

03.03.2017/1320/SLS-AS-2

माननीय मुख्य मंत्री ने एशियन डवलपमेंट बैंक से 640 करोड़ रुपया लिया है जिसके द्वारा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दूसरे डैस्टिनेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बढ़े।

हमारी लगभग 3226 पंचायतें हैं। उनमें से 3138 पंचायतों को सड़क के साथ जोड़ा गया है और बाकी बची पंचायतों को भी सड़क के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास करने का प्रयास किया है।

पिछले कल यहां पर बहुत-सी चर्चाएं हुईं। उनमें माननीय सदन के सदस्य भाई श्री रविन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार को डी.पी.आर्ज़. अधूरी भेजी जा रही हैं, इसलिए वह सैंक्शन नहीं हो रही। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक ज्वालामुखी की सिंचाई की डी.पी.आर. मिडियम इरिगेशन स्कीम फॉर डिफरेंट पंचायत्स 195 करोड़ रुपये की बनाई है। उसमें आपका पुराना क्षेत्र, जो अब ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है और जो मेरे पुराने क्षेत्र थे जो अब आपके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनमें 8 पंचायतें देहरा में गई हैं, उस क्षेत्र को भी मैंने इसमें शामिल किया है। उस डी.पी.आर. को सारी कमेटीज ने अप्रूव करके भेजा है। उस डी.पी. आर. को आप अपनी सरकार से अप्रूव करवाएं क्योंकि जिस पार्टी से आप संबंधित हैं उसी पार्टी की आज केंद्र में सरकार है। उस 195 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. को अगर आप सैंक्शन करवाएंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि इसमें केंद्र सरकार के धन्यवाद का कोई शब्द मैंशन नहीं है। अगर आप सही काम करेंगे, हिमाचल के लिए अगर आप कोई चीज लेकर आएंगे तो हम खुले मन से धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर आप रोडा अटकाएंगे तो हम विरोध भी खुले मन से करते हैं।

आप बहुत से एन.एच. की बात करते हैं। घोषणाएं करने से एन.एच. नहीं बन जाते। हिमाचल प्रदेश में आपने 62 एन.एच. डिक्लेयर करवा दिए। क्या आपने कभी देखा कि वह कौन-कौन से एन.एच. हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र की एक सड़क उसमें

03.03.2017/1320/SLS-AS-3

अनाऊंस करवा दी गई है मगर वह सड़क ज़मीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या वह एन.एच. बन जाएगी? एन.एच. बनाने के लिए नार्मज होते हैं। पहले उसको स्टेट हाईवे तो बनाओ। मैंने पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए उसकी डी.पी.आर. भेजी हुई है। पहले उसको सैंक्शन करवाओ और फिर उसे एन.एच. के लिए क्वैलिफाई करवाओ तो वह एन.एच. बनेगी। फिर एन.एच. की डी.पी.आर. बनाने के लिए पैसा कौन देगा? पैसा लाओ, डी.पी.आर. बनेगी; कौन इंकार कर रहा है। केंद्र से आज तक कितना पैसा आया? डी.पी.आर. के लिए कोई पैसा नहीं आया। कंसलटेंट आपने अप्वायंट करने हैं। ये केंद्र सरकार की नीति है। एन.एच. राज्य सरकार के अधीन नहीं आते। लोक निर्माण विभाग प्रदेश सरकार का है।

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2017/1325/RG/AS/1

श्री संजय रतन-----जारी

उसमें जितनी सड़कें बननी हैं, जितनी नाबार्ड की डी.पी.आर. बननी हैं वे हिमाचल सरकार बना रही है, उनको प्रदेश सरकार बनाएगी, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के काम हैं उनमें राष्ट्र की सरकार शामिल है। आज केन्द्र में आपकी सरकार है और आप उस पार्टी के नुमाइन्दे हैं। केन्द्र में जाइए और हिमाचल के लिए कुछ लेकर आइए। अगर कुछ लेकर आएं, तो हम खुले मन से आपका स्वागत करेंगे, हिमाचल के लिए पैकेज लाइए, सड़कों के लिए, पीने-के-पानी के लिए, सिंचाई के लिए और दूसरी चीजों के लिए पैसा लाइए। स्वां के तटीयकरण के लिए पैसा लाइए। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के 90:10 के अनुपात में स्वीकृत होने हैं, वे पहले ही कह देते हैं कि पहले राज्य सरकार अपना 10%

हिस्सा लगाए उसके बाद हम 90% देंगे। हमने 10% लगा भी दिया। जिन स्कीमों में हमने पैसा लगा दिया, उन स्कीमों का पैसा कहां है क्या केन्द्र ने दिया? आप अपने नेताओं से जाकर पूछिए? आप पैसा नहीं ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिमाचल सरकार को जितना टाईट कर सकते हैं उतना टाईट करें ताकि हम आगे आए। ऐसा नहीं होगा, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार जनमत से बनी हुई सरकार है और यह लोगों को पता है। जैसे भाई श्री जगजीवन पाल जी ने कहा कि अच्छे दिन दिखाए गए। लेकिन हमारे अच्छे दिन कहां हैं? केवल मात्र आप लोगों ने दो सालों में एक ही काम किया और वह है 'नोटबन्दी' और नोटबन्दी के ऊपर पूरा हिन्दुस्तान त्राहि-त्राहि करवा दिया। कहा गया कि 200 आदमी मर गए। मैं कहूंगा कि 200 आदमी बेचारे मर भी गए और कई माताओं-बहनों की डिलीवरी ए.टी.एम. मशीनों की लाईनों में लगकर हुई। यह सत्य है, आंकड़ें हैं और यह प्रैस ने भी लिखा है। उनके बारे में आपका क्या विचार है? कोई विचार नहीं है। आज तक विश्व में सात देशों में नोटबन्दी हुई है और ओबामा साहब ने स्वयं कहा है कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जब हमने नोटबन्दी की थी और उनकी अर्थ-व्यवस्था आज तक पटरी पर नहीं आई है। आप हिन्दुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आप तो हिन्दुस्तान को सौ साल पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। --- (व्यवधान) --- -जी.डी.पी., यह कागजों की फिगर की बात नहीं है। हकीकत में लोगों को क्या मिल रहा है उस चीज को देखो। कर्नल साहब, जब पैसे नहीं मिल रहे थे, जब पाबन्दी लगाई गई कि 24,000/-रुपये से अधिक आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकते, तो आपकी

03/03/2017/1325/RG/AS/2

हालत भी बहुत पतली थी, लेकिन आप बोल नहीं सकते थे। क्योंकि आप हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। आप अपनी पार्टी के विरुद्ध बोल नहीं सकते। मेरे सभी भाई इससे दुखी थे। सब कहते थे, लेकिन दबे मन से कहते थे कि मोदी जी ने बहुत गलत निर्णय ले लिया, लेकिन जनता के समक्ष आप लोग बोल नहीं सकते थे। क्योंकि आप हस्तिनापुर से बंधे हुए थे।

---- (व्यवधान) --- मैंने पिछली बार भी इसी सदन में कहा था कि अगर आपको इतना ही गुमान है कि केन्द्र सरकार के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो आप लोक सभा को भंग करके

चुनाव करके देख लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा और दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत समय है। इस सदन में चर्चाएं होती रहेंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं और इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास करवाया। मैं खासतौर पर आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने जो घोषणा की थी कि प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला बनेगी, तो कल मंत्रि-मण्डल की बैठक में उस पर मुहर लगा दी है। यह केवल मात्र वीरभद्र सिंह जी हैं जो ऐसे निर्णय ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन इन्होंने दम दिखाया और निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को बनाया, हिमाचल प्रदेश की दूसरी विधान सभा वहां बनाई और आज सारे कार्यालय धर्मशाला में हैं। मैं एक समाचार-पत्र में पढ़ रहा था कि राजधानी घोषित कर दी, लेकिन कार्यालय कोई नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह जी ने सबसे पहले शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला में शिफ्ट किया था जिसका बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद सारे कार्यालय धर्मशाला में खोले और आज हरेक विभाग का कार्यालय धर्मशाला में है। ----(व्यवधान)---शिक्षा बोर्ड का कार्यालय माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वहां खोला है और उसके बाद सारे कार्यालय वहां खुले। ----(व्यवधान)---भारद्वाज जी, आपको फैक्ट्स पता नहीं होंगे। धर्मशाला के सारे कार्यालय माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने खोले हैं। आपने अपने समय में शिमला के कार्यालय धर्मशाला तो क्या ले जाने बल्कि जो धर्मशाला में कार्यालय खुले थे, उनको भी शिफ्ट कर दिया। आपने अपने कार्यकाल में धर्मशाला और मण्डी का डिव.कौम बंद किया था, आपने होमगाड्ज का मण्डल कार्यालय मण्डी और धर्मशाला से बंद किया था। क्या आप हमारे हितैषी हैं? आप हमारे हितैषी नहीं हैं।

03/03/2017/1325/RG/AS/3

कांगड़ा के हितैषी अगर हैं, तो माननीय वीरभद्र सिंह जी हैं। मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपर और लोअर की खाई को खत्म किया है, इन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है और मैंने तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पहले भी कहा है और आज सदन में भी कह रहा हूं और

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2017/1330/MS/DC/1

श्री संजय रतन जारी-----

इस क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। मैंने तो मुख्य मंत्री जी से पहले भी कहा है और आज भी इस सदन में कह रहा हूँ तथा खुले मन से कहता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी एक हॉलीलॉज आप धर्मशाला में भी बना लीजिए ताकि यह खाई परमानेंट खत्म हो जाए। हम धर्मशाला में भी मुख्य मंत्री महोदय का घर बनाना चाहते हैं। जिस अप्पर और लोअर क्षेत्र के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते थे अब वह सारी चीज वीरभद्र सिंह जी ने खत्म कर दी है और भविष्य में भी खत्म कर दी जाएगी। एक समान विकास वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का हुआ है इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। इस विकास के साथ सातवीं बार मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी यहां बैठेंगे और आप लोग वहीं विपक्ष में बैठेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो आपकी अनुमति से जगजीवन पाल जी ने यह प्रस्ताव यहां पेश किया है, उसका मैं अनुसमर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है।

अध्यक्ष: इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होती।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं सुधीर शर्मा जी और संजय रतन जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को धर्मशाला में बसने के लिए आमंत्रित किया है। तो सुधीर शर्मा जी अपने लिए एक नया स्थान ढूंढेंगे क्योंकि धर्मशाला से माननीय मुख्य मंत्री जी उम्मीदवार बन गए हैं। इसके लिए आपको बधाई हो। अध्यक्ष जी, जो संजय रतन जी ने यहां कहा कि एजुकेशन बोर्ड मुख्य मंत्री जी ने वहां पर दिया है। मुझे लगता है कि इनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। यह एजुकेशन बोर्ड वर्ष 1978 में जब शांता कुमार जी मुख्य मंत्री थे उस समय धर्मशाला गया है। जबकि ये तो मुख्य मंत्री ही वर्ष 1983 में बने हैं। आपको इसकी जानकारी नहीं है। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी पालमपुर में वर्ष 1978 में खुली है।

उसका एक हिस्सा कटकर एक हॉर्टिकल्चर युनिवर्सिटी मुख्य मंत्री जी लेकर आए उसको सोलन में कर दिया। पहले यह सारा-का-सारा पालमपुर में हुआ करता था। इसकी जानकारी संजय रतन जी आपको नहीं है।

03/03/2017/1330/MS/DC/2

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ just to correct the record. मैं किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। सारी जनता जानती है कि असलियत क्या है। सवाल यह है कि धर्मशाला में सिर्फ डिप्टी कमीशनर का ऑफिस, एस0पी0 का ऑफिस और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके ऑफिस थे। जब हमारी सरकार आई हमने सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड को शिमला से धर्मशाला भेजा जबकि एजुकेशन बोर्ड के अंदर उस वक्त जो मुलाजिम थे वे 99 परसेंट दूसरे क्षेत्रों से थे लेकिन वे वहां गए। उसके बाद चीफ इंजीनियर पी0डब्ल्यू0डी0, चीफ इंजीनियर आई0पी0एच0-(व्यवधान)-यही हुआ, I am telling you to prove it.

श्री रविन्द्र सिंह: आपके आने से पहले हो गया था।

मुख्य मंत्री: बिल्कुल नहीं हुआ। हम आपको नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाएंगे। आप रिकॉर्ड से निकालिए। तो चीफ इंजीनियर आई0पी0एच0 और बिजली बोर्ड के ऑफिस वहां खोले गए। उसके बाद धीरे-धीरे और विकास होता गया। वास्तव में मैं चाहता था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एकता होनी चाहिए। यह जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहा कि नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, ऊपर के पहाड़, बीच के पहाड़ और नीचे के पहाड़, इसी पर तो आप लोग राजनीति करते हैं। आपके पास और कोई भी ठोस मामला राजनीति के लिए नहीं था। इसी दूरी को पाटने के लिए हमने यह कदम उठाया और आज जो धर्मशाला है वह एक महानगर बन गया है। उसका विकास हुआ है और सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भावना पैदा हुई है कि हिमाचल एक है और एक ही रहेगा।

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Friday, March 03, 2017

अध्यक्ष: अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार दिनांक 06 मार्च, 2017 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला: 171004
दिनांक: 03/03/2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव